वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की कार्य परिषद् की 14 वीं बैठक दिनांक 02.06.2023 का कार्यवृत्त

प्रस्तावनाः—

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की 14वीं कार्यपरिषद् की बैठक विश्वविद्यालय के "पंडित नारायण दत्त तिवारी कांफ्रेंस हाल" में मा0 कुलपति/अध्यक्ष, कार्यपरिषद, वि0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0, देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 02 जून, 2023 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में निम्नलिखित उपस्थित रहें:—

01	प्रो0 ओंकार सिह, कुलपति, वी0मा0सिं0भ0उ0त0वि0वि0, देहरादून	अध्यक्ष
02	डॉ0 मनमोहन सिंह चौहान, कुलपति, जी0बी0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	सदस्य
03	श्री अशोक कुमार, संयुक्त सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
04	श्री अरविन्द सिंह पांगती, सयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
05	श्रीमती दीप्ती मिश्रा, उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
06	श्री दिनेश पुनेठा, अनु सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
07	श्रीमती किरण भट्ट टोडरिया, उत्तराखण्ड पूर्व फिक्की अध्यक्ष, उत्तराखण्ड	सदस्य
08	श्री पंकज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज ऐसोसिएशन, उत्तराखण्ड	सदस्य
09	प्रो0 अजीत के0 चतुर्वेदी, पूर्व निदेशक, आई0आई0टी0, रूड़की (ऑनलाईन उपस्थित)	सदस्य
10	प्रो0 ललित कुमार अवस्थी, निदेशक, एन0आई0टी0, उत्तराखण्ड	सदस्य
11	डॉ0 आशुतोष सयाना, प्राचार्य, दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून	सदस्य
12	श्री चन्द्र मोहन सिंह, डीन/प्रधानाचार्य, वी0च0सिं0ग0, गर्वमेन्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च, श्रीनगर, गढ़वाल	सदस्य
13	डॉ0 डी0पी0 गैरोला, सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
14	श्रीमती मीना तिवारी, सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
15	प्रो0 शरद कुमार प्रधान, निदेशक, टी0एच0डी0सी0—आई0एच0ई0टी0, नई टिहरी	सदस्य
16	प्रो0 संजीव नैथानी, कार्यवाहक निदेशक, आई0टी0 गोपेश्वर, उत्तराखण्ड।	सदस्य
17	डॉ0 अमित अग्रवाल, निदेशक, डॉ0ए0पी0जे0ए0के0आई0टी0, टनकपुर	विशेष आमंत्रित सदस्य
18	प्रो0 हरवेन्द्र सिंह भदौरिया, निदेशक, प्रौद्योगिकी संस्थान, बौन, उत्तरकाशी	विशेष आमंत्रित सदस्य
19	प्रो0 मनोज कुमार पांडा, निदेशक, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून	विशेष आमंत्रित सदस्य
20	प्रो0 सत्येन्द्र सिंह, कुलसचिव, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0, देहरादून	पदेन सचिव

बिन्दु : 14—01

कार्यपरिषद् की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विनिश्चयः—

मा0 कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय की दिनांक 27 मार्च, 2023 को सम्पन्न "कार्यपरिषद्" की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर निदेशक टी0एच0डी0सी0—आई0एच0ई0टी0, नई टिहरी द्वारा की गयी टिप्पणी को छोड़ते हुए विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया। **(सलंग्नक—1)**

बिन्दु : 14—02

कार्य परिषद् की दिनांक 27 मार्च, 2023 को सम्पन्न हुई 13 वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्वन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना कार्यपरिषद् के माननीय सदस्यों के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

परिषद् के सम्मानित सदस्यों द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2023 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में पूर्ण हो चुकी कार्यवाहियों हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही गतिमान है, उन पर शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

बिन्दु सं0—14.03

विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विनिश्चयः—

विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की दिनांक 25.05.2023 को सम्पन्न 34वीं बैठक के कार्यवृत्त का परिषद् द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया। **(सलंग्नक—2)**

बिन्दु सं0—14.04

विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विनिश्चयः—

विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की दिनांक 27.05.2023 को सम्पन्न 15वीं बैठक के कार्यवृत्त का परिषद् द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया। **(सलंग्नक—3)**

बिन्दु सं0—14.05

विश्वविद्यालय की 21 वीं वित्त समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन।

विनिश्चयः—

बैठक में दिनांक 02—06—2023 को सम्पन्न विश्वविद्यालय की 21 वीं वित्त समिति की बैठक जिसमें लिए गये निर्णयों के अनुरूप कार्यवृत्त पर मा0 परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। **(सलंग्नक—4)**

बिन्दु सं0—14.06

स्ववित्त पोषित स्वरूप में संचालित 05 इंजीनियरिंग संस्थानों सहित बौन इंजीनियरिंग संस्थान उत्तरकाशी को वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों के रूप में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा उपरान्त मा0 कार्यपरिषद् द्वारा निम्नवत निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गयाः—

1. विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों यथा—प्रौद्योगिकी संस्थान, गोपेश्वर, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून, डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर, नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ़, टी0एच0डी0सी0—आई0एच0ई0टी0, नई टिहरी तथा बौन इंजीनियरिंग कॉलेज, उत्तरकाशी का संचालन विश्वविद्यालय प्रथम विनियमावली—2018 के बिन्दु संख्या 4.04 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
2. कैंपस संस्थानों को विश्वविद्यालय का परिसर संस्थान बनायें जाने के दृष्टिगत यह सभी संस्थान, विश्वविद्यालय के अधिनियम व विनियमावली के अनुसार **"अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय"** के अन्तर्गत संचालित किये जायेंगे।
3. उत्तराखण्ड सरकार के कार्यवृत्त संख्या 639/XLI-A/2023—65/2022 (ई 38893) दिनांक 24 मई, 2023 के में लिये गये निर्णयानुसार **"विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् ही संस्थानों की प्रशासकीय परिषद् (बी0ओ0जी0) के रूप में भी कार्य करेगी तथा सम्बन्धित संस्थानों के निदेशक पदेन सदस्य होंगे"** पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—14.07

विश्वविद्यालय में कैम्पस संस्थानों में नियमित शिक्षकों व शिक्षणेत्तर (Teaching & Non-Teaching) **कार्मिकों की अनुपलब्धता/कमी के दृष्टिगत कैंपस संस्थानों में शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कार्मिकों की** *आउटसोर्स/नियम—शर्तो* (Terms & Conditions based Engagement - Short term appointment) **के आधार पर पूर्णतः अस्थाई व्यवस्था के तहत 11 माह की अवधि पर रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 कार्यपरिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

प्रस्तावः—

बैठक में चर्चा उपरान्त विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्क्रमों व कैम्पस संस्थानों में छात्र संख्या के आधार पर AICTE द्वारा निर्धारित छात्र–शिक्षक अनुपात 1:20 के अनुसार अनुमन्य संख्या की सीमा में शिक्षकों की कमी को पूर्णतया अस्थायी व स्ववित्तपोषित आधार पर 11 माह के अनुबंध जो कि नवीनीकरण योग्य नही होगा, पर असिस्टैंट प्रोफेसर (Terms & Conditions based Engagement - Short term appointment) **को** यू0जी0सी0, नई दिल्ली की व्यवस्था के अनुसार रू0 57700.00 नियत वेतन पर रखने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

साथ ही कैंपस संस्थानों में Non-Teaching कार्मिकों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति भी पूर्णतया अस्थायी व स्ववित्तपोषित आधार पर आउटसोर्स/दैनिक वेतन पर 11–11 माह के अनुबंध अनुसार राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों पर किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—14.08—

विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों व शिक्षकों को विश्वविद्यालय संचालन के लिए 11 माह तक की अल्पअवधि हेतु रखे जाने के सम्बन्ध में चयन समिति की संरचना सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा उपरांत विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रशासनिक व शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ती हेतु यू0जी0सी0 के प्राविधानों के अर्न्तगत (**आउटसोर्स/नियम—शर्तो** Terms & Conditions based Engagement – Short term appointment) पर शिक्षक रखे जाने हेतु भी नियमित शिक्षकों की भांति चयन समिति गठित कर चयन कराये जाने के प्राविधानों के अर्न्तगत AICTE द्वारा निर्दिष्ट चयन समिति जो कि निम्नवत् होगी से चयन कराने तथा विश्वविद्यालय व इसके परिसर संस्थानों के सुचारू संचालन हेतु विश्वविद्यालय की विनियमावली के प्राविधानो के अर्न्तगत विश्वविद्यालय के अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों की 11 माह तक की अल्पकालिक अवधि हेतु नियुक्ति करने पर मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

शिक्षकों को रखे जाने हेतु AICTE के मानकानुसार विश्वविद्यालय संकाय सदस्यों हेतु AICTE Regulation 2019 में चयन समिति का गठन निम्नवत दिया गया है :—

"(क) ***विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के लिए चयन समिति की संरचना निम्नवत होगी:—***

i) कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।

ii) संबंधित विश्वविद्यालय के प्रासंगिक सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट संबंधित विषय में तीन विशेषज्ञ।

iii) संबंधित संकाय का डीन, जहां लागू हो।

iv) विभाग/विद्यालय का प्रमुख/अध्यक्ष।

v) विजिटर/चांसलर द्वारा नामनिर्दिष्ट शिक्षाविद, जहां लागू हों।

vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/ अल्पसंख्यक /महिला /दिव्यांग जन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शिक्षाविद जिसका नाम निर्देशन कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति द्वारा किया जायेगा, यदि इन श्रेणियों से सम्बन्धित कोई उम्मीद्वारा आवेदक है यदि चयन समिति के उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी उस श्रेणी से सम्बन्धित नही है।

(ख) बैठक के लिए गणपूर्ति का गठन करने के प्रयोजनार्थ, पांच सदस्य उपस्थित होगें जिनमे से कम से कम दो सदस्य, कुल तीन विषय विशेषज्ञ होगें"।

बिन्दु सं0—14.09

कैंपस संस्थान नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ़ का नाम परिवर्तित कर "के0एन0 उप्रेती, नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ़" रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा के उपरांत उत्तराखण्ड सरकार के कार्यवृत्त संख्या 639/XLI-A/2023—65/2022 (ई. 38893) दिनांक 24 मई, 2023 के बिन्दु—4 (2) द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में कैंपस संस्थान नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ़ का नाम परिवर्तित कर "के0एन0 उप्रेती, नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ़" रखे जाने तथा नाम परिवर्तित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—14.10

कैंपस संस्थान डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर व अन्य कैंपस संस्थानों हेतु पूर्व स्वीकृत पदों ढांचें में निरन्तरता आदि अन्य प्रस्ताव जो लम्बित है, उनपर कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा उपरान्त माननीय कार्यपरिषद् परिषद् द्वारा कैंपस संस्थान "डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर एवं अन्य कैंपस संस्थानों हेतु पूर्व स्वीकृत पदों के ढांचे में निरंतरता आदि अन्य प्रस्ताव जो लम्बित है, उन पर उत्तराखण्ड शासन से निरंतरता प्रदान किये जाने हेतु कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—14.11

कैंपस संस्थान टी0एच0डी0सी0—आई0एच0ई0टी0, नई टिहरी द्वारा वर्ष 2019 में निर्गत विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा के उपरान्त कैंपस संस्थान टी0एच0डी0सी0—आई0एच0ई0टी0, नई टिहरी द्वारा शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों की नियुक्ति हेतु वर्ष—2019 में निर्गत विज्ञापन को कालातीत घोषित कर निरस्त करते हुए सम्बन्धित नियुक्तियों के सम्बन्ध में पुनः नवीन विज्ञापन निर्गत कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा पूर्व विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदन शुल्क को आवेदनकर्ताओं को संस्था द्वारा वापस लोटायें जाने के सम्बन्ध में संस्थान स्तर पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

बिन्दु सं0—14.12

विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों में निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के मानकानुसार किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित सामान्य भर्ती नियम मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा उपरान्त ए0आई0सी0टी0ई0/यू0जी0सी0 द्वारा समय—समय पर लागू मानकों में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार प्रस्तावित **"विश्वविद्यालय के परिसर संस्थानों में निदेशक के पद के लिए सामान्य भर्ती नियम" (General Recruitment Rules for the Post of Director in Campus Instituions of University)** में दिये गये चरणों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों में निदेशक के रिक्त पदों पर शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति किये जाने पर मा0 परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया **(सलंग्नक—5)**। इसी कम में सामान्य भर्ती नियमों में निदेशक के ए0आई0सी0टी0ई0 के वेतनमान के साथ ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्राविधानित रू0 6750/— का स्पेशल एलाउंस दिये जाने के सम्बन्ध में भी मा0 परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–14.13–

कैंपस संस्थानों में निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति हेतु चयन समिति की सरंचना सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 कार्यपरिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ

विनिश्चयः–

बैठक में चर्चा उपरान्त परिसर संस्थानों की बी0ओ0जी0 का दायित्व विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा निर्वहन किये जाने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों में निदेशक के चयन हेतु ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 01 मार्च, 2019 में प्रदत्त व्यवस्था अनुसार निम्न् तालिकानुसार चयन समिति गठित किये जाने का अनुमोदन मा0 कार्यपरिषद् द्वारा प्रदान किया गयाः–

Sl. No.	**Selection Committee as per AICTE Regulations,2019**	**Proposed as per AICTE Regulations 2019 and decision taken by Technical Education Deptt. Uttarakhand Govt. vide no.639/XLI-A/2023-65/2022(bZ.38893) dated 24 May 2023**
1.	Chairperson of the Governing Body as Chairperson	Vice Chancellor, VMSBUTU Dehradun
2. 3.	Two members of the Governing Body of the college to be nominated by the Chairperson of whom one shall be an expert in academic administration	1.Principal Secretary/Secretary, Technical Education Department, Govt. of Uttarakhand & 2.Another member of Executive Council (Governing Body) who shall be an expert in academic administration, to be nominated by Vice Chancellor, VMSBUTU, Dehradun
4.	One nominee of the Vice-Chancellor who shall be an expert in Management of Higher Education	To be nominated by Vice Chancellor, VMSBUTU, Dehradun
5. 6. 7.	Three experts consisting of the Principal/ Director of a college, a Professor and an accomplished educationist not below the rank of a Professor (to be nominated by the Governing Body of the College) out of a panel of six experts approved by the relevant statutory body of the affiliating University concerned	In view of the difficulty in holding the meeting of the Executive Council (Governing body of the college) frequently, it is requested to authorize Vice Chancellor for identifying "Three experts consisting of the Principal/ Director of a college, a Professor and an accomplished educationist not below the rank of a Professor" from the "Panel of Experts" approved by Executive Council of the University.
8.	An academician representing SC/ST/OBC/Minority/Women/Differently-abled categories, if any of candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice-Chancellor of the affiliating University	To be nominated by Vice Chancellor, VMSBUTU, Dehradun

इस कम में चयन प्रकिया पूर्ण करने एवं तद्कम में किये गये चयन पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति प्रदान करने हेतु कार्यपरिषद् (जो कि संस्थाओं की बी0ओ0जी0 भी है) की ओर से विश्वविद्यालय के कुलपति (अध्यक्ष–कार्यपरिषद्) को अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत किये जाने पर भी मा0 परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–14.14

विश्वविद्यालय में UTU Centre for Hemp Processing Technology Development स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

बैठक में चर्चा के उपरान्त विश्वविद्यालय में **UTU Centre for Hemp Processing Technology Development** स्थापित करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–14.15–

विश्वविद्यालय में Academic Staff Development Center स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

चर्चा हुई। मा0 परिषद् द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शिक्षकों की शिक्षण क्षमता बढ़ायें जाने हेतु विश्वविद्यालय में **Academic Staff Development Center** की स्थापना किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—14.16—

कैंपस संस्थान महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून में छात्राओं हेतु आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा उपरान्त विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत तथा कैंपस संस्थान महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्र/छात्राओं हेतु निम्नवत् सुविधाओं की व्यवस्था आवश्यकतानुसार संस्थान/विश्वविद्यालय मद से किये जाने हेतु मा0 परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

1. **छात्राओं हेतु मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था।**
2. **संस्थान हेतु कैंटीन की व्यवस्था।**
3. **छात्राओं हेतु स्पोटर्स गतिविधियां जैसे— बैडमिन्टन कोर्ट, बॉलवाल, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस आदि खेलों की सुविधाओं हेतु व्यवस्था।**

बिन्दु सं0—14.17—

विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2023—24 से संचालित बी0टैक0 (कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम में सीट क्षमता में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 कार्यपरिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

चर्चा हुई। विश्वविद्यालय की 15वीं विद्या परिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय/अनुमोदन के कम में वर्तमान आवश्यकताओं के दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ टैक्नोलॉजी में स्ववित्त पोषित आधार पर शैक्षिक सत्र 2023—24 से संचालित किये जाने वाले बी0टैक0 कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (B.Tech Computer Science & Engg.) की 60 सीट क्षमता को बढ़ाकर 120 किये जाने पर कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—14.18—

विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों में B.Tech Computer Science **पाठ्यक्रम में सीट क्षमता में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 कार्यपरिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा उपरान्त निम्नानुसार कैंपस संस्थानों में विद्यमान सीटों के साथ कतिपय B.Tech Seats वृद्धि करते हुए सीट निर्धारित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की 15वीं बैठक में लिये गये निर्णय/अनुमोदन अनुसार मा0 कार्यपरिषद् द्वारा वर्तमान आवश्यकताओं के दृष्टिगत सीट वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया।

Sl No.	Name of Institute	Existing B.Tech. Programme	Existing Seats	Seats with effect from 2023-24
01	THDC-IHET, New Tehri	B.Tech. (CSE)	60	60+60 =120
02	W.I.T., Dehradun	B.Tech. (CSE)	60	60+60 =120
03	APJAKIT, Tanakpur	B.Tech. (CSE)	60	60+60 =120
04	I.T., Gopeshwar	B.Tech. (CSE)	60	60+60 =120
04	NPSIET, Pitthoragarh	B.Tech. (CSE)	60	60+120 =180

बिन्दु सं0–14.19–

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किये जाने वाले आगामी दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

बैठक में चर्चा उपरान्त विश्वविद्यालय अधिनियम–2005 तथा प्रथम विनियमावली–2018 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उत्कृष्ट "प्राविधिक शिक्षा" व विज्ञान और "टैक्नोलॉजी" में योगदान देने वाले व्यक्तियों को मानद उपाधि प्रदान किये जाने तथा इस कार्य हेतु नाम का पैनल निर्धारित किये जाने पर निम्नानुसार समिति गठित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया, जिनके द्वारा नाम निर्धारित किये जायेंगे तद्उपरान्त निर्धारित किये गये नामों को अनुमोदन के लिए प्रस्ताव तैयार कर माननीय कुलाधिपति, राजभवन, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा।

1. प्रो0 ओंकार सिंह, कुलपति, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रो0वि0वि0, देहरादून।
2. डॉ0 मनमोहन सिंह चौहान, कुलपति, जी0बी0 पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, पंतनगर।
3. सुश्री किरण भट्ट टोडरिया, पूर्व फिक्की अध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. डॉ0 डी0पी0 गैराला, सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री पंकज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज ऐसोसिएशन, उत्तराखण्ड।

बिन्दु सं0–14.20–

कैंपस संस्थान महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून में बी0टैक0 कम्प्यूटर साइंस व इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु सीट क्षमता में वृद्धि (अतिरिक्त सैक्शन 60 सीट) होने की दशा में 60 कम्प्यूटरों व सॉफ्टरवेयर हेतु नवीन प्रयोगशाला निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

बैठक में चर्चा हुई। कैंपस संस्थान महिला प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संचालित बी0टैक0 कम्प्यूटर साइंस व इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम गे सीट क्षमता में वृद्धि होने की दशा में (अतिरिक्त सैक्शन 60 सीट) 60 कम्प्यूटरों व सॉफ्टरवेयर हेतु नवीन प्रयोगशाला निर्माण संस्थान मद से किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–14.21–

विश्वविद्यालय में शिक्षकों/अधिकारियों/निदेशक/प्राचार्य के चयन समिति तथा स्कूटिनी/स्कीनिंग कमेटी हेतु अतिरिक्त विषय विशेषज्ञों के पैनल सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

बैठक में चर्चा उपरांत विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षकों, प्राचार्य, निदेशकों, अधिकारियों के चयन व प्रोन्नति के संबंध में कार्यपरिषद् द्वारा पूर्व अनुमोदित पैनल की सूची के साथ पटल पर प्रस्तुत अतिरिक्त विषय–विशेषज्ञों के पैनल को अनुमोदित कर अनुमोदित पैनल की सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–14.22–

आई0एम0ए0, देहरादून के सभी Graduate Gentlemen Cadets जो आई0एम0ए0, देहरादून में द्वितीय एवं तृतीय अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है, हेतु विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये गये PG Diploma in Military Studies and Defence Management पाठ्यक्रम के अन्तर्गत द्वितीय सेमेस्टर में अध्ययरत छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर पर प्रदत्त नामांकन संख्या तथा एच0एन0बी0जी0यू0, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित छात्रों को प्रथम सेमेस्टर में प्रदत्त नामांकन संख्या को विश्वविद्यालय अंकतालिका व उपाधि में संयुक्त रूप से इंगित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा उपरान्त विद्या परिषद् की 15वीं बैठक में लिये गये निर्णय/अनुमोदन के क्रम में छात्रहित दृष्टिगत आई0एम0ए0, देहरादून के सभी Graduate Gentlemen Cadets जो विश्वविद्यालय में PG Diploma in Military Studies and Defence Management पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है, विश्वविद्यालय स्तर पर प्रदत्त नामांकन संख्या तथा एच0एन0बी0जी0यू0, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित छात्रों को प्रथम सेमेस्टर में प्रदत्त नामांकन संख्या को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत की जाने वाली अंकतालिका व उपाधि में संयुक्त रूप से इंगित किये जाने हेतु मा0 परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—14.23—

विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थान टी0एच0डी0सी0—आई0एच0ई0टी0, नई टिहरी में पूर्णकालिक व अंशकालिक M.Tech (Hydro & Renewable Energy) 18 सीट क्षमता प्रत्येक के साथ प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा उपरांत विद्या परिषद् की 15वीं बैठक में लिये गये निर्णय/अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थान टी0एच0डी0सी0—आई0एच0ई0टी0, नई टिहरी में M.Tech (Hydro & Renewable Energy) **18 सीट क्षमता** के साथ पूर्णकालिक पाठ्यक्रम (अवधि—02 वर्ष) एवं अंशकालिक पाठ्यक्रम (अवधि—03 वर्ष) को विश्वविद्यालय के एम0टैक0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क के समान पूर्णकालिक एम0टैक0 का शुल्क व अंशकालिक एम0टैक0 हेतु विश्वविद्यालय के अंशकालिक एम0बी0ए0 के समान शिक्षण शुल्क के साथ संदर्भित एम0टैक0 को प्रारम्भ किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—14.24—

विश्वविद्यालय के परीक्षा सम्बन्धी कार्यो के सम्पादन हेतु विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में ओ0एस0डी0 की तैनाती किये जाने की सूचना कार्यपरिषद् के सूचनार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा के उपरांत कैंपस संस्थान महिला प्रौद्योगिकी संस्थान की डॉ0 स्वाती सिंह राजपूत, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, को संस्थान के कार्यो के साथ—साथ अग्रिम आदेशों तक विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में विशेष कार्याधिकारी के रूप में तैनात किये जाने की सूचना से मा0 परिषद् अवगत हुई।

बिन्दु सं0—14.25—

विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों के लोगो, पैड, बोर्ड, वेबसाईट आदि पर परिवर्तन किये जाने के साथ प्रौद्योगिकी संस्थान, बौन, उत्तरकाशी हेतु नवीन लोगो, पैड, बोर्ड आदि तैयार कराते हुए लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 कार्यपरिषद् के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्ततु।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा हुई। मा0 कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के संचालित 5 कैंपस संस्थानों के लोगो, पैड, बोर्ड, वेबसाईट आदि पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये जाने तथा प्रौद्योगिकी संस्थान बौन, उत्तरकाशी हेतु नये लोगो, पैड, बोर्ड आदि तैयार कर **(सलंग्नक—6 के अनुसार)** लागू किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही विद्यापरिषद् की 15वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में सभी कैंपस संस्थानों में आयोजित किये जाने वाले प्रत्येक कार्यक्रम का शुभारम्भ विश्वविद्यालय **"कुलगीत"** से ससम्मान किये जाने के सम्बन्ध में भी मा0 परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

इसी क्रम में महिला प्रौद्योगिकी संस्थान की छात्राएं, जिनके द्वारा लोगो तैयार किये गये है, को बैठक में उपस्थित मा0 सदस्य श्री पंकज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज ऐसोसिएशन, उत्तराखण्ड द्वारा आगामी दीक्षांत समारोह में रू0 11000/— पुरूस्कार धनराशि से सम्मानित किये जाने की घोषणा की गयी।

बिन्दु सं0—14.26—

विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों में अतिथि व्याख्याता को विश्वविद्यालय में प्रचलित रू0 1000/— प्रति पीरियड की दर से रू0 35000/— की सीमा तक भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा उपरांत विद्यापरिषद् की 15वीं बैठक में लिये गये निणर्य/अनुमोदन के कम में सभी कैंपस संस्थानों में विश्वविद्यालय में प्रचलित रू0 1000/— प्रति पीरियड व अधिकतम रू0 35000/— प्रति माह की दर से अतिथि व्याख्याता आबद्ध करने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित।

बिन्दु सं0—14.27—

विश्वविद्यालय कैंपस संस्थानों द्वारा लिये जा रहे शिक्षण शुल्क में एकरूपता लाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा हुई। विद्या परिषद् की 15वीं बैठक में लिये गये निर्णय/अनुमोदन के कम में विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों हेतु शिक्षण शुल्क रू0 75000/— वार्षिक (अन्य शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित किये जाने तथा विश्वविद्यालय में संचालित बी0टैक0 व बी0फार्म0 पाठ्यक्रमों हेतु अन्य अतिरिक्त शुल्क User Charges तथा Other Charges **(सलंग्नक—7 के अनुसार)** पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही यही User Charges तथा Other Charges अन्य सभी कैंपस संस्थानों में भी सत्र 2023—24 में नये प्रवेशार्थियों पर लागू किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त के साथ ही आवश्यकतानुसार प्रत्येक संस्थान में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क (User Charges & Other Charges) का निर्धारण संस्था के निदेशक के प्रस्ताव पर कुलपति के स्तर से अनुमोदित किये जाने पर भी मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—14.28—

विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थान "प्रौद्योगिकी संस्थान, बौन, उत्तरकाशी" में शैक्षिक सत्र 2023—24 से अध्ययन—अध्यापन आदि अन्य शिक्षणेत्तर कार्य प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय—

बैठक में चर्चा उपरान्त उत्तराखण्ड सरकार के आदेश सं0 564/2023/XLI-A65/2022(ई. 38893) दिनांक 09 मई, 2023 द्वारा लिये गये निर्णय के कम में प्रौद्योगिकी संस्थान, बौन, उत्तरकाशी को वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, के कैम्पस संस्थान के रूप में संचालित किये जाने पर मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही विद्यापरिषद् की 15वीं बैठक में लिये गये निर्णय/अनुमोदन के कम में संस्थान में बी0टैक0 पाठ्यकम संचालन व अन्य आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था हेतु निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया:—

1. संस्थान में सत्र 2023—24 से बी0टैक0 की दो विधाओं यथा B.Tech Computer Science & Engineering में 120 क्षमता तथा B.Tech Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) में 60 क्षमता के साथ प्रवेश देते हुये संस्था का संचालन किया जायेगा।

2. संस्था में उपलब्ध भवनों में प्रयोगशालाओं, उपकरणों की स्थापना, कक्षाओं हेतु समुचित फर्नीचर की उपलब्धता, कार्यालयों, शिक्षकों, निदेशक कक्षों में फर्नीचर, सेमिनार रूम आदि के साथ संस्था के संचालन हेतु सुसज्जित किया जायेगा।

3. निर्धारित क्षमता की छात्र संख्या के साथ संस्था के संचालन हेतु निदेशक के साथ–साथ शिक्षकों की उपलब्धता कराते हुये शिक्षण–प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालित किया जायेगा, जिस हेतु AICTE द्वारा निर्धारित मानकानुसार 1:20 के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता 11 माह के Short term appointment जो कि नवीनीकरण योग्य नही होगा पर कराने हेतु शिक्षकों को आउटसोर्स/नियम–शर्तों (Terms & Conditions based Engagement - Short term appointment) के माध्यम से रखते हुये संचालन किया जायेगा।
4. संस्थान में निदेशक की तैनाती हेतु तदर्थ व्यवस्था स्वरूप नियमित नियुक्ति होने तक प्रभारी निदेशक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की कार्यवाही को अनुमोदित किया गया।

बिन्दु सं0–14.29–

विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों हेतु प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली (Performance Appraisal System) तैयार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय–

बैठक में चर्चा उपरांत विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों (नियमित/आउटसोर्स–उपनल) हेतु प्रत्येक 3 माह का तिमाही परफारमेंस एप्रेजल सिस्टम विकसित किये जाने **(सलंग्नक–8)** के साथ कार्यो का आंकलन किये जाने हेतु तिमाही मूल्यांकन के अतिरिक्त कार्मिकों द्वारा प्रतिदिन निष्पादित किये जा रहे विश्वविद्यालय/शासकीय/राजकीय कार्यो का विवरण भी प्रत्येक शनिवार को कुलसचिव कार्यालय को जमा कराये जाने तथा मूल्यांकन का स्केल 1 से 10 अंक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। मा0 परिषद् के समक्ष प्रस्तुत परफारमेंस एप्रेजल हेतु तैयार किये गये प्रारूप अनुमोदित।

बिन्दु सं0–14.30–

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान महादेवी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, देहरादून संस्थान के शैक्षिक सत्र 2021–22 में राजभवन, उत्तराखण्ड द्वारा (एम0बी0ए0 व एम0सी0ए0 पाठ्यकम में) पत्र में बिन्दु–2 एवं 3 में उल्लिखित उपबंध/शर्त के अनुपालन सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय–

बैठक में चर्चा उपरांत महादेवी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, देहरादून संस्थान के शैक्षिक सत्र 2021–22 में राजभवन, उत्तराखण्ड द्वारा (एम0बी0ए0 व एम0सी0ए0 पाठ्यकम में) पत्र में बिन्दु–2 एवं 3 में उल्लिखित उपबंध/शर्त के कम में निम्न्वत निर्णय लिये गये:–

1. राजभवन, उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 विश्वविद्यालय को संस्थान में सत्र 2022–23 की प्रवेश प्रकिया उपरांत प्राप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित संस्थान के शैक्षिक सत्र 2022–23 के प्रवेश, अस्थाई सम्बद्धता, परीक्षा आदि कार्यो को सम्पादित कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
2. शैक्षिक सत्र 2023–24 में संस्थान के सोसाईटी से सम्बन्धित विवाद के प्रकरण का निराकरण होने तक संस्थान द्वारा कोई भी नवीन प्रवेश न लिये जाने तथा विश्वविद्यालय स्तर पर संस्थान के शैक्षिक सत्र 2023–24 के प्रवेश, अस्थाई सम्बद्धता आदि पर किसी प्रकार की कार्यवाही न किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
3. संस्थान के सोसाईटी से सम्बन्धित प्रकरण का निराकरण होने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान के प्रवेश, अस्थाई सम्बद्धता आदि पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

बिन्दु सं0—14.31—

विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विधिक कार्यो, शासकीय कार्यो, अनुबंध, एम0ओ0यू0, निविदा आदि के निष्पादन हेतु विधिक सलाह लिये जाने के सम्बन्ध में विधि विशेषज्ञ को विश्वविद्यालय विधि सलाहकार के रूप में नामित किये जाने तथा नामित किये गये विधि सलाहकार को प्रति प्रकरण मानदेय का भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय—

प्रकरण में वित्त समिति की बैठक में हुई चर्चा के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा इस मद को Withdraw कर लिया गया।

बिन्दु सं0—14.32—

विश्वविद्यालय में शिक्षकों के सृजित पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय—

बैठक में चर्चा उपरांत विश्वविद्यालय में सृजित रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक विकल्प स्वरूप कार्यहित में AICTE/UGC/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्हतानुसार प्रतिनियुक्ति पर यथा प्रभावी नियमों के अर्न्तगत शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों के सृजित पदों पर रखने हेतु मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—14.33—

विश्वविद्यालय परिसर में छात्रावास (Hostel) तथा शैक्षणिक ब्लॉक (Academic Block) बनाये जाने हेतु परामर्शदाता/सलाहकार (Consultant) नामित किये जाने तथा छात्रावास व शैक्षणिक ब्लॉक का निर्माण कराने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा उपरांत निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया गयाः—

1. विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं हेतु छात्रावास (Hostel) तथा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु शैक्षणिक ब्लॉक (Academic Block) का निर्माण कार्य कराया जायेगा।

2. उपरोक्त निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा अपने संसाधनों से वहन किये जायेंगे।

उपरोक्त कार्य में विश्वविद्यालय को परामर्श/सलाह प्राप्ति हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यवाही की जायेगी।

बिन्दु सं0—14.34—

विश्वविद्यालय में "प्रोफेसर एमरिटस" (Professor Emeritus) की सेवायें लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 कार्यपरिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जा रहे एम0टैक0, एम0फार्म0, एम0बी0ए0 पाठ्यक्रमों तथा शैक्षिक सत्र 2023—24 से संचालित किये जाने वाले नवीन बी0टैक0 तथा बी0फार्म0 पाठ्यक्रमों के संचालन आदि सम्बन्धित कार्यो के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय में वरिष्ठ/अनुभवी संकाय की कमी की पूर्ती हेतु किसी प्रतिष्ठित संस्था से प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त शिक्षाविद् की **"प्रोफेसर एमरिटस" के रूप में सेवायें** निम्नवत मानदंड (Criteria) अनुसार प्रत्येक Faculty of Technology, Faculty of Management, Faculty of Pharmacy में अधिकतम एक—एक प्रोफेसर एमरिटस अपने वित्तीय संसाधनों से रखने के सम्बन्ध में मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

EMERITUS PROFESSOR Objective:

This position shall be available at the University to supplement its regular faculty strength by engaging the services of retired senior faculty members. The key objective of Emeritus Professor shall be to promote the Research and Development (R&D) activities in the department and play the role of mentor to the faculty members of the department.An Emeritus Professor may pursue academic work within the framework of the Area to which he/she is attached.

Eligibility Criteria:

Superannuated full Professor of SPA/IIT/NIT and other Institutions of similar repute across globe, who has retired at the age of 65 years and has served as a full Professor at least for a period of minimum 10 years/ or a person retired from industry who has made outstanding contribution to the relevant field with suitable externally sponsored projects or comparable activities.

Honorarium:

Emeritus Professor will get an honorarium Rs. 100000/- (Rupees One Lakh Only) per month.

Tenure:

The period of engagement shall be for a minimum period of 06 month and maximum period of two years. No person shall be appointed or continued as Emeritus Professor on attaining the age of 70 years.

Teaching work load:- Emeritues Professor will have to attend University working hours and take teaching load as presceibed and other works.

बिन्दु सं0—14.35—

विश्वविद्यालय में उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को प्रतिवर्ष वेतन में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा उपरान्त उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को वेतन में वृद्धि के स्थान पर विश्वविद्यालय संसाधनों से सुविचारित प्रस्ताव आगामी वित्त समिति में रखे जाने पर मा0 परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—14.36—

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों को राजभवन, उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत सम्बद्धता आदेश मा0 कार्यपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों के अस्थाई सम्बद्धता व अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण सम्बन्धी आदेश जो कि आतिथि तक राजभवन सचिवालय, उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत किये गये है पर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारित करने पर मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—14.37—

विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में शैक्षिक सत्र 2023—24 हेतु तैयार किये गये Academic Calender **मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

विनिश्चयः—

विद्यापरिषद् की 15वीं बैठक में लिये गये निर्णय/अनुमोदन के कम में शैक्षिक सत्र 2023—24 के एकेडमिक कैलेंण्डर को अनुमोदित किया गया तथा एकेडमिक कैलेंण्डर में आगामी आकस्मिकताओं के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार वांछित संशोधन करने हेतु मा0 कुलपति महोदय अधिकृत।

बिन्दु सं0–14.38–

उत्तराखण्ड राज्य के देश सेवा में कार्य के दौरान मृत सैनिकों/अधिकारियों के पुत्र/पुत्रियों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कैंपस संस्थानों में Supernumerary सीट दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

बैठक में चर्चा उपरान्त मा0 कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय की इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के देश सेवा में भारतीय सेना के कार्य के दौरान मृत सैनिकों/अधिकारियों (Deceased Soldiers/Officers on duty) के पुत्र/पुत्रियों/पति या पत्नी (Spouse) हेतु विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कैंपस संस्थानों में विश्वविद्यालय के प्रत्येक बी0टैक0 पाठ्यक्रम में अधिकतम 01 सीट Supernumerary के आधार पर बिना शिक्षण शुल्क के 04 वर्ष की अवधि हेतु बी0टैक0 प्रथम वर्ष में विश्वविद्यालय की निर्धारित मेरिट आधारित प्रवेश प्रक्रिया से उपलब्ध कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–14.39– अन्य बिन्दु मा0 कुलपति महोदय की अनुमति से।

बिन्दु सं0–14.39 (1)

कैंपस संस्थान महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, सुद्धोवाला, देहरादून में नियमित निदेशक की नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

बैठक में चर्चा उपरान्त कैंपस संस्थान महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, सुद्धोवाला, देहरादून में नियमित निदेशक की नियुक्ति किये जाने हेतु पूर्व से सम्पन्न प्रक्रिया को दिनांक 09 मई, 2023 के शासनादेश के बाद की बदली हुई परिस्थितियों में कार्यपरिषद् को बी0ओ0जी0 का दायित्व सौंपे जाने के आलोक में अग्रिम कार्यवाही कर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने पर मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा दिये गये सुझाव व बैठक में उठायें गये अन्य बिन्दुओं पर चर्चाः–

1. बैठक में उपस्थित श्री पंकज कुमार गुप्ता द्वारा विश्वविद्यालय से उद्योगों के साथ एम0ओ0यू0 में वृद्धि किये जाने तथा छात्रों के स्किल डेवल्पमेन्ट पर ध्यान दिये जाने की अपेक्षा की गयी, जिस पर माननीय कुलपति/अध्यक्ष, कार्यपरिषद् द्वारा कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया।
2. बैठक में उपस्थित डॉ0 शदर कुमार प्रधान के संस्थान में कार्यरत नियमित शिक्षकों को अर्जित अवकाश दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर मा0 परिषद् द्वारा नियमित शिक्षकों हेतु स्थापित नियमों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त बिन्दु पर विश्वविद्यालय के प्रस्ताव में वित्त विभाग द्वारा सहमति नहीं दी गई थी।

अन्त में मा0 कुलपति/अध्यक्ष महोदय तथा अन्य सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

(प्रो0 सत्येन्द्र सिंह,) कुलसचिव, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0	**(प्रो0 संजीव नैथानी)** निदेशक, आई0टी0,गोपेश्वर	**(प्रो0 शरद कुमार प्रधान)** निदेशक, टी0एच0डी0सी0–आई0एच0ई0टी0, नई टिहरी
(मीना तिवारी) सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव, न्याय उत्तराखण्ड शासन	**(डॉ0 डी0पी0 गैरोला)** सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव, न्याय उत्तराखण्ड शासन	**(डॉ0 आशुतोष सयाना)** प्राचार्य, दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून

(चन्द्र मोहन सिंह)
डीन / प्रधानाचार्य,
वी.च.सिं.ग. मेडिकल कॉलेज,
श्रीनगर, गढ़वाल

(प्रो0 ललित कुमार अवस्थी)
निदेशक,
एन0आई0टी0
उत्तराखण्ड

(प्रो0 अजीत के0 चतुर्वेदी)
पूर्व निदेशक,
आई0आई0टी0
रूड़की

(पंकज कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष,
इंडस्ट्रीज ऐसोसिएशन
उत्तराखण्ड

(किरण भट्ट टोडरिया)
पूर्व फिक्की अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड

(दिनेश पुनेठा)
अनुसचिव, तकनीकी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन

(दीप्ती मिश्रा)
उप सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन

(अशोक कुमार)
संयुक्त सचिव, न्याय
उत्तराखण्ड शासन

(अरविन्द सिंह पांगती)
संयुक्त सचिव, चिकित्सा
उत्तराखण्ड शासन

(डॉ0 मनमोहन सिंह चौहान)
कुलपति
जी.बी.पंत कृषि एवं प्रो0 विवि0,
पन्तनगर

(प्रो0 ओंकार सिंह)
कुलपति,
वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0

संलग्नक - 1

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की दिनांक 27 मार्च, 2023 को सम्पन्न कार्य परिषद की 13 वीं बैठक का कार्यवृत्त

प्रस्तावना:– वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की 13वीं कार्यपरिषद् की बैठक विश्वविद्यालय के सभागार में मा0 कुलपति/अध्यक्ष, कार्यपरिषद, वि0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0, देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 27 मार्च, 2023 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में निम्नलिखित उपस्थित रहें:–

01	प्रो0 ओंकार सिंह, कुलपति, वी0मा0सिं0भ0उ0त0विवि0, देहरादून	अध्यक्ष
02	प्रो0 प्रदीप कुमार, प्रतिनिधि, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	सदस्य
03	डॉ0 अलकनन्दा अशोक, डीन कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी, पंतनगर, प्रतिनिधि कुलपति, जी0बी0पी0यू0ए0टी0, पंतनगर	सदस्य
04	श्री प्रकाश तिवारी, उप सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
05	श्री आर0के0 श्रीवास्तव, अपर सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
06	श्री अरविन्द सिंह पांगती, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
07	श्रीमती दीप्ती मिश्रा, उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
08	श्रीमती किरण भट्ट टोडरिया, उत्तराखण्ड पूर्व फिक्की अध्यक्ष, उत्तराखण्ड	सदस्य
09	श्री पंकज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज ऐसोसिएशन, उत्तराखण्ड	सदस्य
10	प्रो0 दुर्गेश पंत, महानिदेशक, यू कॉस्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड	सदस्य
11	श्रीमती मीना तिवारी, सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
12	डॉ0 डी0पी0 गैरोला, सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
13	प्रो0 शरद कुमार प्रधान, निदेशक, टी0एच0डी0सी0–आई0एच0ई0टी0, नई टिहरी, उत्तराखण्ड	सदस्य
14	प्रो0 संजीव नैथानी, कार्यवाहक निदेशक, आई0टी0 गोपेश्वर, उत्तराखण्ड।	सदस्य
15	प्रो0 सत्येन्द्र सिंह, कुलसचिव, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0, देहरादून	पदेन सचिव

सर्वप्रथम मा0 कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया एवं विश्वविद्यालय द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षण कार्यों के संचालन हेतु किये जा रहे प्रयासों व सभी हितधारकों के सहयोग की अपेक्षा की गई। तदउपरान्त बैठक में माननीय सदस्यों के समक्ष चर्चा/अनुमोदन हेतु ऐजेण्डा बिन्दु प्रस्तुत किये गये, जिन पर चर्चा उपरान्त लिये गये निर्णयों/कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:–

बिन्दु– 13.01

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की 08 सितम्बर, 2022 को सम्पन्न हुई "कार्य परिषद" की 12वीं बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:–

मा0 कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय की दिनांक 08 सितम्बर, 2022 को सम्पन्न "कार्यपरिषद" की 12वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

27/3/23

Please refer attached information regarding Agenda Point 12.20 of 12th BOG.

बिन्दु सं0– 13.02

कार्य परिषद् की दिनांक 08 सितम्बर 2022 को सम्पन्न हुई 12 वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना कार्यपरिषद् के माननीय सदस्यों के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

परिषद् के सम्मानित सदस्यों द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2022 को सम्पन्न कार्यपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में पूर्ण हो चुकी कार्यवाहियों से अवगत होते हुए जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही गतिमान है, उन पर शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

बिन्दु सं0–13.03

विश्वविद्यालय की विद्या परिषद तथा परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों का अनुमोदन।

विनिश्चयः–

विश्वविद्यालय की दिनांक 20–03–2023 को सम्पन्न विद्या परिषद की 14 वीं बैठक एवं परीक्षा समिति की दिनांक 21.09.22 को सम्पन्न 31वीं बैठक, दिनांक 16.11.22 को सम्पन्न 32वीं बैठक तथा दिनांक 23.03.2023 को सम्पन्न 33वीं बैठक के कार्यवृत्तों का कार्यपरिषद् द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया। संदर्भित बैठकों के अनुमोदित कार्यवृत्त सलंग्न है (सलंग्नक–1)।

बिन्दु सं0–13.04

विश्वविद्यालय की 20 वीं वित्त समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन।

विनिश्चयः–

बैठक में दिनांक 27–03–2023 को सम्पन्न विश्वविद्यालय की 20 वीं वित्त समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुरूप जारी होने वाले कार्यवृत्त का मा0 परिषद् द्वारा अग्रिम अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0 –13.05

विश्वविद्यालय में नव नियुक्त परीक्षा नियंत्रक के पदभार की सूचना मा0 कार्यपरिषद् के अवगतनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

मा0 कार्यपरिषद् डॉ0 वी0के0 पटेल द्वारा विश्वविद्यालय में नये परीक्षा नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किये जाने की सूचना से अवगत हुई।

बिन्दु सं0 –13.06

विश्वविद्यालय में नव नियुक्त कुलसचिव के पदभार की सूचना मा0 कार्यपरिषद् के अवगतनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

मा0 कार्यपरिषद् प्रो0 सत्येन्द्र सिंह द्वारा विश्वविद्यालय में नये कुलसचिव के रूप में पदभार ग्रहण किये जाने की सूचना से अवगत हुई।

बिन्दु सं0–13.07

विश्वविद्यालय के कुलसचिव कक्ष में दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को लगी आग की सूचना एवं हो रही कार्यवाही पर चर्चा एव अनुमोदन।

विनिश्चयः–

मा0 कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के कुलसचिव कक्ष में दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को लगी आग के सम्बन्ध में आंतरिक जांच कराते हुए सम्बन्धित थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। मा0 परिषद् द्वारा पुलिस जांच की कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में सहमति प्रदान की गयी तथा सम्बन्धित थाने को प्रकरण पर शीघ्र जांच किये जाने के लिये विश्वविद्यालय स्तर पर पुनः अनुस्मारक पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

साथ ही कुलसचिव कार्यालय की पुर्नस्थापना की प्रकिया में अनुमानित व्यय रू0 7.00 लाख के व्यय के सम्बन्ध में कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–13.08

विश्वविद्यालय में दिनांक 27 जनवरी, 2023 स्थापना दिवस समारोह प्रथम एल्यूमिनी मीट एवं राज्य सरकार द्वारा मेधावी छात्रों को रू0 50000/– के प्रोत्साहन धनराशि वितरण कार्यक्रम की सूचना एवं अनुमोदन।

विनिश्चयः–

वीर माधौ सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून के दिनांक 27 जनवरी, 2023 को सम्पन्न 19वें स्थापना दिवस समारोह, परिसर में एक T-55 टैंक तथा वीर माधौ सिंह भण्डारी की प्रतिमा की स्थापना, टैंक व प्रतिमा हेतु पैडस्टेल के निर्माण, नव सृजित UTU Alumni Association के तत्वाधान में प्रथम एल्यूमिनी मीट के आयोजन तथा राज्य सरकार की योजना अनुसार उत्तराखण्ड के मूल निवासी छात्रों को आई0आई0टी0, एन0आई0टी0 व आई0आई0एम0 में प्रवेश प्राप्त होने पर प्रोत्साहन धनराशि हेतु चयनित 251 छात्रों को प्रोत्साहन धनराशि के वितरण का कार्योत्तर अनुमोदन मा0 कार्यपरिषद् द्वारा प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–13.09

विश्वविद्यालय द्वारा निम्न संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये, जो विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित किये गये है। कार्यपरिषद् के मा0 सदस्यों के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

- MOU Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and KVS Premier Foundation, Kashipur- **Signed**
- MOU Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and Indian StartUps Organization, Derhadun- **Signed**
- MOU Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and Centre For Development of Advanced Computing (CDAC) Hyderabad- **Signed**
- MOU Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and Indian Military Academy (IMA) Post Graduate Diploma in Military Studies & Defence Management (PGDMS&DM) - **Signed**
- MOU Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and CMAI Association of India & TEMA (Telecom Equipment Manufacturer's) - **Signed**

- MOU Signed Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and National Institute of Electronics & Information Technology, (NIELIT) HARIDWAR - **Signed**
- MOU Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and SPNG Group(Kashi Vishwanath Textile Mill (P) Limited) – **To be Signed**
- MOU Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and Technology Incubation and Entrepreneurship Development Society (TIEDS) – **To be Signed**
- MOU Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and Acetians Technology Pvt Ltd) (ATPL) – **To be Signed**
- MOU Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and Kaspersky Lab Singapore PTE Ltd – **To be Signed**
- MOU Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and Pramod Bharti, New Cantt Road Dehradun, for "Savitri Bharti Memorial Scholarship" - **To be Signed**
- MOU Between VMSBUTU and Sh. Rajesh K. Srivastava for Scholorship- **To be Signed**

विनिश्चय–

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के साथ निष्पादित किये गये ए0ओ0यू0 तथा प्रस्तावित एम0ओ0यू0 को आवश्यकतानुसार निष्पादित करने के प्रस्ताव पर कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–13.10

दिनांक 08–09–2022 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी शर्तों के हटाने के कम में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–2130/वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि./2022 दिनांक 21–10–2022 के माध्यम से 05 इंजीनियरिंग संस्थान यथा–1. प्रौद्योगिकी संस्थान, गोपेश्वर, 2. महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून, 3. डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर, 4. नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़ एवं 5. टी.एच.डी.सी.–आई.एच.ई.टी. नई टिहरी को विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थानों के रूप में संचालित करने हेतु कृत कार्यवाही मा0 सदस्यों के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय–

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् के निर्णय दिनांक 08–09–2022 के अनुपालन में प्रेषित प्रस्ताव पत्र संख्या कैंप मैमों/वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0/2022 दिनांक 08/09/2022 में विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी शर्तो के हटाने के राज्य सरकार के निर्देश पत्र संख्या 1144/XLI-A/2022-65/2022 दिनांक 10/10/2022 के कम में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–2130/वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि./2022 दिनांक 21–10–2022 के माध्यम से निम्नानुसार 05 संस्थानों को विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थानों के रूप में संचालित करने का राज्य सरकार को प्रेषित पुनरीक्षित प्रस्ताव को विद्या परिषद् के अनुमोदन के कम में मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

1. प्रौद्योगिकी संस्थान, गोपेश्वर;
2. महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून;
3. डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर;
4. नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़;
5. टी.एच.डी.सी.–आई.एच.ई.टी. नई टिहरी।

बिन्दु सं0—13.11—

विश्वविद्यालय में पूर्णतया स्ववित्त पोषित आधार पर बी0टेक0 साइबर सुरक्षा (B.Tech- Cyber Security) एवं बी0टैक0 कम्प्यूटर साइंस (B.Tech- Computer Science) व पी0जी0 डिप्लोमा इन साइबर सिक्युरिटी पाठयकम को संचालित किये जाने का प्रस्ताव कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय—

1. वर्तमान में कम्प्यूटर साइंस व साइबर सुरक्षा क्षेत्रों में तकनीकी मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र से बी0टेक0 साइबर सुरक्षा (60 क्षमता), पी0जी0 डिप्लोमा इन साइबर सिक्युरिटी (60 क्षमता) व बी0टैक0 कम्प्यूटर साइंस (60 क्षमता) पाठयकम को स्ववित्त पोषित आधार पर रू0 75000/— प्रतिवर्ष शिक्षण शुल्क बी0टैक0 हेतु एवं रू0 35000/— प्रतिवर्ष शिक्षण शुल्क पी0जी0 डिप्लोमा हेतु (अन्य शुल्क अतिरिक्त) के साथ संचालित किये जाने का प्रस्ताव सत्र 2023—24 से संचालन हेतु विद्या परिषद् के अनुमोदन के कम में मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
2. उपरोक्त नवीन पाठ्यकमों के संचालन हेतु शिक्षकों की आवश्यकता को अस्थायी आधार पर ए0आई0सी0टी0ई0/यू0जी0सी0 के मानकों के अनुरूप प्रभावी व्यवस्था के कम में Professor of Practice, Adjunct Faculty, Guest Faculty तथा Outsource के माध्यम से पूरा किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को कार्यपरिषद् द्वारा नियमानुसार कार्यवाही हेतु अनुमोदित किया गया।
3. इन पाठ्यकमों के सुचारू संचालन हेतु आवश्यकतानुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं ख्याति प्राप्त संस्थानों के साथ MOU/Consortium तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय को अधिकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

बैठक में मा0 कार्यपरिषद् के सदस्य श्री पंकज कुमार गुप्ता द्वारा दिये गये Renewable Energy तथा फैशन टैक्नोलॉजी में स्नातक स्तरीय पाठ्यकम विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने के सुझाव पर कार्यपरिषद् द्वारा इसकी संभावनाएं तलाशतें हुए अग्रिम कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी।

बिन्दु सं0—13.12

विश्वविद्यालय में पूर्णतया स्ववित्त पोषित आधार पर बी0फार्मेसी (60 प्रवेश क्षमता) नवीन पाठयकम को संचालित किये जाने एवं एम0फार्म0 में क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय—

1. मा0 कार्यपरिषद् द्वारा विद्या परिषद् के अनुमोदन के कम में शैक्षणिक सत्र 2023—24 से विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित आधार पर रू0 75000/— प्रतिवर्ष के शिक्षण शुल्क (अन्य शुल्क अतिरिक्त) के साथ नवीन बी0फार्मेसी पाठयकम (60 प्रवेश क्षमता) को संचालित किये जाने तथा एम0फार्म0 की क्षमता वृद्धि हेतु नियमानुसार कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
2. उपरोक्त नवीन पाठ्यकम के संचालन हेतु शिक्षकों की आवश्यकता को अस्थायी आधार पर ए0आई0सी0टी0ई0/यू0जी0सी0/पी0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप प्रभावी व्यवस्था के कम में Professor of Practice, Adjunct Faculty, Guest Faculty तथा Outsource के माध्यम से पूरा किये सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यपरिषद् द्वारा नियमानुसार कार्यवाही हेतु अनुमोदित किया गया।

बिन्दु सं0—13.13

विश्वविद्यालय में Centre of Excellence in Cyber Security, स्थापित किये जाने का प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय–

मा0 कार्यपरिषद् द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए साइबर सुरक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालय की अग्रणी भूमिका में पहल किये जाने तथा संचालित पाठ्यक्रमों में छात्रों को साइबर सुरक्षा के समुचित ज्ञान हेतु विश्वविद्यालय में **Centre of Excellence in Cyber Security** स्थापित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान करते हुए मा0 कार्यपरिषद् के सदस्य श्री पंकज कुमार गुप्ता द्वारा दिये गये विश्वविद्यालय में **Centre of Design and Creativity** स्थापित किये जाने के सुझाव पर कार्यपरिषद् द्वारा इसकी संभावनाएं तलाशतें हुए अग्रिम कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी।

बिन्दु सं0–13.14

12वी कार्य परिषद की बैठक के उपरांत राज भवन से प्राप्त संबंद्धता आदेशों का विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् के मा0 सदस्यों का अनुमोदन।

विनिश्चयः–

विश्वविद्यालय से सम्बद्व संस्थानों को कार्यपरिषद् की 12वीं बैठक के उपरांत राजभवन से आतिथि तक प्राप्त सम्बद्धता आदेशों पर कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय से सम्बद्व 02 संस्थानों, जो शैक्षणिक सत्र 2021–22 से निजी विश्वविद्यालय बन गये है, की सूचना से मा0 परिषद् को अवगत कराया गया।

1. कोर स्कूल ऑफ मैनेजमेन्ट, रूड़की–हरिद्वार रोड, रूड़की।
2. सूरजमल लक्ष्मीदेवी सावर्थिया एजुकेशनल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, किच्छा, यू0एस0 नगर।

बिन्दु सं0–13.15

श्री सुनील कुमार को मा0 कुलपति महोदय के स्टाफ ऑफिसर बनाये जाने की सूचना कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय–

मा0 कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय कार्यों के सुचारू संपादन हेतु मा0 कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में स्टाफ ऑफिसर के पदनाम से स्टॉफ आफिसर का अतिरिक्त प्रभार किसी को देते हुए सलंग्न विवरणानुसार (सलंग्नक–2) इंगित दायित्वों के साथ दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–13.16

विश्वविद्यालय में सौलर पॉवर सयन्त्रों को स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यपरिषद् के मा0 सदस्यों के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थः–

विनिश्चय–

विश्वविद्यालय में वर्तमान उर्जा आवश्यकता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय को सौर उर्जा संचालित परिसर बनायें जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा0 कार्यपरिषद् द्वारा प्रसन्न्ता व्यक्त करते हुए सौलर पॉवर संयन्त्रों को सरकार द्वारा प्रभावी सौर उर्जा नीति के अनुसार विश्वविद्यालय के संसाधनों से स्थापित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–13.17

मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड की घोषणा के कम में विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेन्स हॉल का नाम "पंडित नारायण दत्त तिवारी कॉन्फ्रेन्स हॉल" रखे जाने का अनुमोदन।

विनिश्चय–

मा0 कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेन्स हॉल का नाम "पंडित नारायण दत्त तिवारी कॉन्फ्रेन्स हॉल" के नाम से रखे जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—13.18

विश्वविद्यालय हेतु शासन द्वारा विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से सृजित पूर्व पदों पुर्नबहाल/पुर्नजीवित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का अनुमोदन।

विनिश्चय –

बैठक में विश्वविद्यालय में सृजित पदों एवं कार्य निस्तारण हेतु वांछित कार्मिकों पर चर्चा हुई। शासनादेश सं0 833/XLI-1/18-39/2005 दिनांक 23 नवम्बर, 2018 के द्वारा विश्वविद्यालय के ढांचें को पुर्नगठित करते हुए समाप्त किये गये पूर्व सृजित 27 पदों को आवश्यकता के कम में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एमबीए एवं विधि पाठ्यकमों के संचालन हेतु पुर्नबहाल/पुर्नजीवित किये जाने का प्रस्ताव तैयार करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—13.19

विश्वविद्यालय को NAAC Accreditation व 12(B) Status के संबंध में मा0 कार्य परिषद के सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव पर चर्चा व अनुमोदन।

विनिश्चय–

बैठक में चर्चा उपरांत मा0 कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय को NAAC Accreditation व 12(B) दिलाये जाने के लिए प्रस्ताव नियामक संस्था को भेजे जाने एवं इस हेतु वांछित कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—13.20

विश्वविद्यालय में **First Annual Athletics Meet** तथा **Techno-Cultural Festival** के आयोजन की सूचना एवं अनुमोदन।

विनिश्चय–

मा0 कार्यपरिषद् द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए "कौथिग–2023" (Kauthig-2023) के नाम से विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित **First Annual Athletics Meet** तथा **Techno-Cultural Festival** पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं अपेक्षा की गई कि इस प्रकार के कार्यकमों को भव्यता के साथ वृहद स्तर पर आयोजित किया जाये।

बिन्दु सं0—13.21

विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2022—23 में हुए प्रवेश एवं विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2023—24 से विभिन्न पाठ्यकमों में प्रवेश प्रकिया के सम्बन्ध में।

विनिश्चय–

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यकमों में पूर्व शैक्षिक सत्र 2021—22 की तुलना में शैक्षिक सत्र 2022—23 में हुई लगभग 19 प्रतिशत छात्र संख्या वृद्धि के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश बढ़ायें जाने हेतु किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2023 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों तथा समस्त प्रवेश प्रकिया को **"एकल खिड़की"** व्यवस्था के अन्तर्गत यू0के0एस0ई0ई0 परीक्षा में समुचित प्रतिभागी न होने के दृष्टिगत इसे समाप्त करते हुए विश्वविद्यालय के **University Management System** से मेरिट आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में समस्त वांछित कार्यवाही करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—13.22—

शोध सह शिक्षण फैलोशिप योजना (Research cum Teaching fellowship Scheme) को विश्वविद्यालय मे कियान्वित किये जाने हेतु अनुमोदन।

विनिश्चयः—

विद्या परिषद् के अनुमोदन के कम में विश्वविद्यालय में शोध कार्यों को गतिमान करने हेतु —शोध सह शिक्षण फैलोशिप योजना (Research cum Teaching fellowship Scheme) विश्वविद्यालय में कियान्वित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव तथा प्रस्तुत योजना जिसमें रू0 20000/— प्रतिमाह की छात्रवृत्ति सामान्यतः 03 वर्ष व अधिकतम 04 वर्ष तथा रू0 30000/— प्रतिवर्ष की Contingency अधिकतम 03 साल दिये जाने का प्राविधान किया गया है, को मा0 कार्यपरिषद् द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सहर्ष अनुमोदित किया गया।

बिन्दु सं0—13.23—

विश्वविद्यालय में स्नातक तथा परास्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रोजेक्ट/डिजर्टेशन में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

विनिश्चयः—

विद्या परिषद् के अनुमोदन के क्रम में मा0 कार्यपरिषद् द्वारा सम्बद्ध संस्थानों में अध्ययनरत स्नातक/परास्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रोजेक्ट/डिजर्टेशन कार्यों हेतु रू0 5000/— प्रति प्रोजेक्ट/डिजर्टेशन की अधिकतम वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित धनराशि की बजट सीमा के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के उपयुक्त पाये जाने पर दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही इंडस्ट्री ऐसोसियैशन के अध्यक्ष श्री पंकज कुमार गुप्ता के इस मद में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के प्रस्ताव पर कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा अपेक्षा की गई इसमें आवश्यकतानुसार ज्यादा से ज्यादा उपयुक्त लाभार्थी छात्रों को सहायता देने सम्बन्धी वांछित कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर से की जाये।

बिन्दु सं0—13.24

विश्वविद्यालय में एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम में शिक्षकों को आउटसोर्स के आधार पर रखे जाने हेतु प्रस्ताव कार्यपरिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः—

1. ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि हेतु जारी दिशा/निर्देशों तथा वर्तमान में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार आउटसोर्स व्यवस्था के अन्तर्गत उपनल अथवा अन्य आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से यथा प्रभावी शासनादेशों के अन्तर्गत शिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से नितान्त अस्थायी आधार पर रखे जाने का प्रस्ताव कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

2. साथ ही विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की आवश्यकता अध्यापन भार के अनुसार अतिथि व्याख्याताओं के माध्यम से पूर्ण किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

बिन्दु सं0–13.25

दीक्षांत समारोह के आयोजन एवं उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को उपाधियां संस्कृत भाषा में प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यपरिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय–

विद्या परिषद् की 14वीं बैठक में दिये गये अनुमोदन के कम में शैक्षिक सत्र 2021–22 तथा 2022–23 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्रों को आगामी माह सितम्बर, 2023 में प्रस्तावित दीक्षांत समारोह आयोजित कर उपाधियां वितरित किये जाने तथा उत्तराखण्ड राज्य की द्वितीय आधिकारिक भाषा "संस्कृत" होने दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यकमों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को आगामी दीक्षांत समारोह से उपाधियां हिन्दी, अंग्रेजी के साथ संस्कृत भाषा में भी मुद्रित कराते हुए दिये जाने पर कार्यपरिषद् द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–13.26

विश्वविद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्य कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्या परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय–

1. मा0 कार्यपरिषद् द्वारा बैठक में विस्तृत चर्चा उपरान्त आवश्यकता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में **Academic Block, Hostel (100 Bed), Guest House, Central Library, Indoor Stadium, Officers/Staff Residential quarter** सम्बन्धी निर्माण कार्य कराये जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इस हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुदान हेतु प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गई।
2. मा0 कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में नये निर्माण कार्यो हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो पर कार्यवाही हेतु "भवन निर्माण समिति" निम्नानुसार गठित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
   i. सिविल इंजीनियरिंग के आचार्य स्तर के शिक्षक, जो कुलपति द्वारा नामित होंगे:– अध्यक्ष।
   ii. राजकीय/राजकीय उपकम के अधिशासी अभियंता से अनिम्न अभियंता जो कुलपति द्वारा नामित होंगे–सदस्य।
   iii. कुलपति द्वारा नामित निर्माण इकाई/संस्था से सम्बद्ध अनुभवी विषय–विशेषज्ञ–सदस्य
   iv. कुलपति द्वारा नामित अनुभवी आर्किटैक्ट–सदस्य
   v. कुलसचिव–संयोजक सदस्य

बिन्दु सं0–13.27

विश्वविद्यालय में हिमालयन वेलनेस कंपनी द्वारा प्रायोजित प्रोफेसर चेयर स्थापित किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यपरिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय–

बैठक में चर्चा हुई। हिमालयन वेलनेस कंपनी के व्यय से प्रायोजित प्रोफेसर चेयर, प्रायोजित मेडल, प्रायोजित छात्रवृत्ति, प्रायोजित प्रयोगशाला आदि पर अग्रिम कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा0 परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–13.28

विश्वविद्यालय की विनियमावली–2018 अनुसार उपकुलसचिव की नियुक्ति उत्तराखण्ड लोकसेवा आयोग के माध्यम से किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यपरिषद् सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय–

बैठक में चर्चा उपरांत विश्वविद्यालय में नियमित उपकुलसचिव की नियुक्ति विश्वविद्यालय विनियमावली–2018 के अध्याय–2 की धारा 2.07 में दी गयी व्यवस्था–

"उप कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा, उप कुलसचिव के पद के लिए न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव निम्नवत होगी। उप कुलसचिव की नियुक्ति उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की जायेगी" अनुसार लोक सेवा आयोग के माध्यम से किये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने पर मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–13.29

विश्वविद्यालय में सम्बद्धता प्रक्रिया को परिमार्जित करने के सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 कार्यपरिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय–

1. बैठक में चर्चा हुई। मा0 कार्यपरिषद् द्वारा सम्बद्धता प्रणाली ऑनलाईन तथा पारदर्शी बनानें हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर की जा रही कार्यवाही की प्रशंसा की गयी तथा शैक्षिक सत्र 2023–24 से ऑनलाईन सम्बद्धता पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय के सम्बद्ध संस्थानों की अस्थाई सम्बद्धता/अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की कार्यवाही निम्नवत किये जाने हेतु परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

Step-1 Application Submission at Institution Level

- **1(a)** - Online Submission of Affiliation Fee & Inspection Charges by the institution through Online Affiliation Portal of University
- **1(b)** - Filling up of the affiliation format by the institute for the respective program(s) and uploading all related documents in the online affiliation portal
- **1(c)** - After filling the online affiliation format and uploading the documents, the preferred date slot for on site visit by the inspection committee will be submitted by the institute
- **1(d)** - Submission of complete proposal comperising of steps 1a, 1b & 1c for the academic session 2023-24 by the institute on the online affiliation portal

Step-2 University and Inspection Panel Level

- **2(a)** - University will open call for empanelment of subject experts.
- **2(b)** - Panel formation after receipt of online proposal and applicable fees by University
- **2(c)** - Constitution of the Inspection panel and Intimation to the members of the panel
- **2(d)** - Providing date for on site inspection to the nominated inspection panel, during the preferred date slot submitted by institute
- **2(e)** - The inspection panel members will confirm their availability on the date given by the University for Inspection
- **2(f)** - In case of non-availability of any of panel member the steps 2a to 2d will be carried out again till date is finalized and inspection panel is complete.
- **2(g)** - University informs the concerned institute about the date of on site inspection.
- **2(h)** - University will make all arrangements for travel from place of stay of each panel member to the concerned Institute and back. Also, the stay requirement, if any will be done by the University. No financial transaction is permitted between the institute and members of inspection panel.

Step-3 University and Inspection Panel Level

- **3(a)** - Completion of the on site inspection of the concerned institute on the assigned date.
- **3(b)** - Online Submission of Inspection report by the panel to the University before departing from the respective institute.
- **3(c)** - Online Submission of Remuneration bill by each panel member to the University after completion of inspection and payment of remuneration shall be made by University to each member of inspection panel directly after receipt of inspection report in the University online throuth the portal.
- **3(d)** - Institute will get complete videography of inspection process and send the CD/Pendrive to University immediately after inspection is over.

Step-4 University Panel Level

- **4(a)** - Checking the inspection report, Videography and processing at University for deciding further course of action in the matter of affiliation.
- **4(b)** - Sending the Inspection Report to Rajbhwan, Uttarakhand for Necessary Action.
- **4(c)** - Release of provisional affiliation letter.
- **4(d)** - Approval of Executive Council to grant affiliation to Institutions

2. प्रस्तावित प्रक्रिया के अन्तर्गत वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के स्थान पर संस्थान द्वारा निरीक्षण समिति के सदस्यों को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान न किये जाने अपितु निरीक्षण की कार्यवाही में होने वाले सम्पूर्ण व्यय यथा–सदस्यों की यात्रा, ठहरने की व्यवस्था में होने वाले व्यय तथा मानदेय का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा स्तर पर वहन किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रचलित सम्बद्धता की सम्पूर्ण प्रक्रिया को कैशलेस (Cashless) करने के उद्देश्य से संस्थानों से सम्बद्धता शुल्क (Affiliation Fee) के साथ निरीक्षण शुल्क (Inspection Charges) निम्नानुसार जमा कराये जाने के साथ संस्थान द्वारा सम्पूर्ण निरीक्षण की कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराते हुए विश्वविद्यालय में प्रेषित/उपलब्ध कराये जाने पर मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया:–

Present Rate of Affiliation Fees & Proposed Rate of Inspection Charges

(To be taken in addition to the existing Affiliation fee)

Sl No.	Programme	Present Rate of Affiliation Fees (Per Year) + 18% GST Extra	Proposed Rate of Inspection Charges in addition to affiliation fees at present rate
01	UG- ❖ B.Tech	Rs. 30000/- per branch	Rs. 20000/- per subject expert as deputed + Rs. 60000/- for All Related Branches including Other Courses
	PG- ❖ M.Tech	Rs. 100000/- for All Branches	
02	UG- ❖ B.Pharma ❖ BHMCT ❖ LLB PG- ❖ MBA ❖ MCA ❖ M.Pharma ❖ LLM ❖ Phrarm.D	Rs. 100000/- per Course	Rs. 20000/- per subject expert as deputed + Rs. 60000/- for Related Course including Other Courses
03	UG ❖ BALLB ❖ BBALLB	Rs. 50000/-	Rs. 20000/- per subject expert as deputed + Rs. 60000/- for Related Course including Other Courses
04	Processing Fees New Course/New Branch/Increase of Intake	Rs. 125000/- One time	Rs. 20000/- per subject expert as per new course/new branch/seat increase + Rs. 60000/- for new course/new branch/seat increase

बिन्दु सं0—13.30

विश्वविद्यालय परिसर की बाउंड्री वाल के निर्माण, उत्तरपुस्तिकाओं हेतु स्टोर, विश्वविद्यालय ग्राउंड में टॉयलेट के निर्माण आदि अन्य रेनोवेशन सम्बन्धी कार्यो हेतु प्रस्ताव कार्यपरिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:—

बैठक में चर्चा हुई। मा0 कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय परिसर की टूटी हुई बाउंड्री वाल के निर्माण कार्य कराये जाने, परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं को संरक्षित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय भवन में भंडारण के निर्माण, ई0आर0पी0 कक्ष में Mezzanine भंडार तैयार करने, विश्वविद्यालय क्रीड़ा स्थल पर छात्रों हेतु बॉयज/गर्ल्स टॉयलेट के निर्माण तथा विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न स्थानों में छोटे—छोटे रेनोवेशन आवश्यकतानुसार कार्य किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—13.31

विश्वविद्यालय में अवर अभियन्ता इलैक्ट्रिकल एवं अवर अभियन्ता सिविल प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने हेतु प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करने हेतु स्क्रूटनी समिति की संस्तुति सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:—

बैठक में मा0 कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की 12वीं बैठक में लिये गये निर्णयों/अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय में अवर अभियन्ता इलैक्ट्रिकल एवं अवर अभियन्ता सिविल प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये गये थे। उक्त प्राप्त आवेदनों का स्क्रूटनी समिति द्वारा परीक्षण किया गया। स्क्रूटनी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय में उपरोक्त पदों हेतु सभी आवेदनकर्ता पदों हेतु निर्धारित योग्यता/अनुभव पूर्ण नहीं कर पाये।

तत्क्रम में मा0 कार्यपरिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय में अवर अभियन्ता इलैक्ट्रिकल एवं अवर अभियन्ता सिविल प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने की सम्पन्न प्रकिया में समुचित अर्ह आवेदन प्राप्त न होने के दृष्टिगत पुनः विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का प्रस्तुत प्रस्ताव मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

बिन्दु सं0—13.32

विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित प्रिफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर को Faculty of Technology एवं Faculty of Management हेतु प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

विनिश्चय:—

मा0 कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित प्रिफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का उपयोग Faculty of Technology एवं Faculty of Management के संचालन एवं इसे आवश्यकतानुसार सुसज्जित कर विश्वविद्यालय में गुणवत्तापरक अध्यापन कार्यो के विस्तार हेतु करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–13.33

विभिन्न शिकायती प्रकरणों पर विश्वविद्यालय स्तर पर गठित जांच समितियों द्वारा जांच निस्तारण सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यपरिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

बैठक में चर्चा हुई। विश्वविद्यालय स्तर पर शिकायती प्रकरणों के निस्तारण हेतु समय–समय पर गठित जांच समितियों को सामान्यतः अधिकतम 04 बैठकों में प्रकरणों का यथा संभव निस्तारण कर अपनी आख्या दिये जाने तथा जांच समितियों द्वारा शिकायतों के निस्तारण हेतु 04 से अधिक बैठकें किये जाने की दशा में भी अधिकतम 04 बैठकों के भुगतान (अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ते हुए) करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–13.34

सम्बद्ध संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अस्थाई सम्बद्धता/अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण सम्बन्धी प्रस्तावों में प्राभूत राशि हेतु उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–649/XXIV(3)/2016–01(30) /2015, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 के अनुपालन सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। राजभवन, उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उच्च शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–649/XXIV(3) /2016–01(30)/2015, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 में प्राभूत राशि हेतु दी गयी निम्न व्यवस्था अनुसार कार्यवाही किये जाने पर कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

"यदि महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान राज्य सरकार द्वारा नही चलाया जा रहा है तो उसे यह साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के पास कम से कम तीन वर्षो तक बिना किसी सहायता या बाहरी स्रोत के चलाने कि लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के लिए यह आवश्यक नही है। पुनः अशासकीय महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को मानविकी विज्ञान तथा वाणिज्य में पाठ्यक्रम संचालित करने की दशा मे रू0 15 लाख तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने की दशा में रू0 35 लाख अथवा सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा निर्धारित धनराशि (जो दोनो मे अधिक हो) प्रति पाठ्यक्रम की दर से महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के नाम अप्रतिसंहरणीय (**Irrevocable**) सरकारी प्रतिभूति के रूप में स्थायी कायिक निधि (**Corpus Fund**) का सृजन तथा उससे रख रखाव का साक्ष्य, महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा उपर्युक्त धनराशियों की विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के संयुक्त नाम से न्यूनतम तीन वर्षो की लॉक इन अवधि की सावधि–जमा भी करवाई जा सकती है। यह सावधि जमा से प्राप्त ब्याज का उपयोग, विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान की संरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए किया जा सकता है। महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को यह भी साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि उसके पास सतत् रूप से कार्य करने के लिए स्वंय के स्रोत्रों से पर्याप्त आवृत्ति आय (**Recurring Income**) उपलब्ध है"।

बिन्दु सं0—13.35

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान गुरूकुल ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, सेलाकुई द्वारा जमा करायी गयी प्लेज्ड एफ0डी0आर0 (रू0 14.00 लाख) अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

दि गुरुकुल ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित सेलाकुई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, सेलाकुई, देहरादून के बंद होने के उपरांत संस्थान में बी0टैक0, एम0बी0ए0 तथा एल0एल0एम0 पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु विश्वविद्यालय में प्लेज्ड एफ0डी0आर0 को संस्थान के पक्ष में अवमुक्त किये जाने/न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विस्तृत चर्चा कर सम्यक विचारोपरान्त मा0 कार्यपरिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रकरण में मा0 लोकपाल को निम्न कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव प्रेषित कर उनके स्तर से निर्देश लेते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाये।

1. प्रश्नगत प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा दो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में इस आशय का विज्ञापन निर्गत किया जायेगा कि "संस्थान के उपर किसी की भी लेनदारी हो तो विज्ञापन जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि तक विश्वविद्यालय को अवगत कराया जा सकता है, जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
2. विज्ञापन की कार्यवाही के उपरांत प्राप्त जानकारी पर प्लेज्ड धनराशि में से नियमानुसार शुल्क वापसी की कार्यवाही के उपरांत संस्थान से इस आशय का शपथ—पत्र विश्वविद्यालय में जमा कराया जायेगा कि "यदि संस्थान पर भविष्य में इन बंद हुए पाठ्यक्रमों के परिपेक्ष्य में किसी की देनदारी सुनिश्चित होती है, तो संस्थान उसकी प्रतिपूर्ति करने हेतु वचनबद्ध होगा।
3. विज्ञापन कार्यवाही में होने वाले व्यय का वहन संदर्भित संस्थान द्वारा किया जायेगा।

प्रकरण पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने पर मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—13.36

मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु ।

बिन्दु संख्या— 13.36(1)

कार्यपरिषद की 12वीं बैठक में रखे गये एजेण्डा बिन्दु संख्या—12.04ए—1(3) में" शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों हेतु सीधी भर्ती हेतु प्रथम विनियमावली 2018 में कोई व्यवस्था नहीं है। अतः शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों हेतु 11.12—3 (3) में एक अतिरिक्त बिन्दु जोड़े जाने के प्रस्ताव पर हुए विनिश्चिय "विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उच्च शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विश्वविद्यालय व कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में शिक्षणेत्तर पदों पर चयन हेतु निर्धारित व्यवस्थाओं का परीक्षण कर व्यवस्था निर्धारित करते हुए सुविचारित प्रस्ताव पुनः आगामी कार्यपरिषद में विचारार्थ रखे जाने के निर्णय"(संलग्नक—1) के क्रम में।

विनिश्चयः—

प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियानुसार सीधी भर्ती का अधिकार राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों यथा—दून विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय आदि में प्राविधानित व्यवस्थानुसार वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को दिये जाने पर विनियमावली में इस आशय की नयी धारा जोड़े जाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव तैयार कर उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या– 13.36(2)

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हेतु सृजित पदों के ढांचे में वैयक्तिक सहायक संवर्ग का वेतन 5200–20200 ग्रेड पे 2800 है (संलग्क–3)जबकि तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन ही संचालित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज टी0एच0डी0सी0 आई0एच0ई0टी0 नईटिहरी, इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी गोपेश्वर व महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून हेतु सृजित वैयक्तिक सहायक के पद का वेतन 9300–34800 ग्रेड पे 4200 है। एक ही विभाग के अन्तर्गत संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में वैयक्तिक सहायक संवर्ग के सृजित पद के वेतनमान में भिन्नता होने के कारण वेतन विसंगति के सम्बन्ध में।

विनिश्चय–

बैठक में मा0 कार्यपरिषद् द्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज टी0एच0डी0सी0 आई0एच0ई0टी0 नई टिहरी, इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी गोपेश्वर व महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून हेतु सृजित वैयक्तिक सहायक के पद के वेतनमान तथा विश्वविद्यालय में वैयक्तिक सहायक संवर्ग के सृजित पद के वेतनमान में भिन्नता होने के कारण वेतन विसंगति सम्बन्धी प्रकरण पर एकरूपता लाने हेतु प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–13.36(3) –

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान द्वारा अपात्र (Uneligible) अभ्यर्थी को बी0फार्म0 में प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय–

मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या– 208/2018(MS) श्री शुभम कुमार बनाम राज्य सरकार व अन्य के संदर्भ में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की दिनांक 31/01/2022 को सम्पन्न 358th EC में लिये गये निर्णयों अनुसार विश्वविद्यालय को ई–मेल पत्र दिनांकित 04 मार्च, 2022 द्वारा अनर्ह अभ्यर्थी को बी0फार्म0 पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में निम्नवत कार्यवाही किये जाने का निर्णय मा0 कार्यपरिषद् द्वारा लिया गया:–

1. भविष्य में उक्त की पुनर्रावृत्ति न होने हेतु संस्थान पर रू0 5.00 लाख का अर्थदंड लगाया जायें।
2. अर्थदंण्ड के रूप में वसूल की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित में तथा छात्रों हेतु डिजीटल लाईब्रेरी की स्थापना एवं सुदृढ़िकरण के लिए किया जायेगा।
3. संस्थान को भविष्य में उक्त की पुनर्रावृत्ति न किये जाने के सम्बन्ध में चेतावनी पत्र भी निर्गत किया जायें।

मा0 कार्यपरिषद् द्वारा प्रकरण पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–13.36(4) –

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों द्वारा शैक्षिक सत्र 2022–23 के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्तावों को शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिए मान्य किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 कार्यपरिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय—

बैठक में अस्थाई सम्बद्धता कार्यवाही में विगत काफी समय से चल रहे विलम्ब के प्रकरण पर विस्तृत चर्चा हुई। मा0 कार्यपरिषद् द्वारा वर्तमान सत्र संचालन व सम्बद्धता की परिस्थितियों के दृष्टिगत छात्र हित में निम्न शर्तों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों के शैक्षिक सत्र 2022—23 के अस्थाई सम्बद्धता प्रस्तावों पर की जा रही निरीक्षण कार्यवाही को शैक्षिक सत्र 2023—24 हेतु भी मान्य किये जाने तथा तद्नुसार आवश्यक अन्य कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया:—

1. संस्थानों को नियामक परिषद्/संस्था से शैक्षिक सत्र 2023—24 हेतु स्वीकृति/मान्यता प्राप्त होने उपरान्त ही संस्थानों के शैक्षिक सत्र 2022—23 के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव को शैक्षिक सत्र 2023—24 हेतु मान्य किया जायेगा।
2. उक्त व्यवस्था ऐसे संस्थानों के लिए लागू होगी जिनके शैक्षिक सत्र 2022—23 में स्वीकृत सीटों व पाठ्यक्रमों में सम्बन्धित नियामक संस्था द्वारा शैक्षिक सत्र 2023—24 हेतु निर्गत स्वीकृति/मान्यता में किसी प्रकार का परिवर्तन/वृद्धि आदि न किया गया हो।
3. नियामक परिषद्/संस्था द्वारा संस्थान के शैक्षिक सत्र 2023—24 हेतु निर्गत स्वीकृत/मान्यता में पूर्व (शैक्षिक सत्र 2022—23 में) स्वीकृत सीटों व पाठ्यक्रमों में वृद्धि/कमी की जाती है तो उस दशा में विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान का भौतिक/स्थलीय निरीक्षण कराया जायेगा एवं तद्उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।
4. यह व्यवस्था मात्र शैक्षिक सत्र 2023—24 हेतु लागू होगी।
5. विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार किसी भी शैक्षणिक सत्र में औचक निरीक्षण कराया जायेगा।

अंत में अध्यक्ष महोदय तथा सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यपरिषद् की बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रो0 सत्येन्द्र सिंह) पदेन सचिव	(प्रो0 संजीव नैथानी) सदस्य	(प्रो0 शरद कुमार प्रधान) सदस्य	(डॉ0 डी0पी0 गैरोला) सदस्य
(मीना तिवारी) सदस्य	(प्रो0 दुर्गेश पंत) सदस्य	(पंकज कुमार गुप्ता) सदस्य	(किरण भट्ट) सदस्य
(दीप्ती मिश्रा) सदस्य	(अरविंद सिंह पांगती) सदस्य	(आर0के0 श्रीवास्तव) सदस्य	(प्रो0 प्रकाश तिवारी) सदस्य

(डॉ0 अलकनन्दा अशोक) 27/3/23
सदस्य

(प्रो0 प्रदीप कुमार)
सदस्य

(प्रो0 ओंकार सिंह)
अध्यक्ष

संलग्नक - 2

बीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की दिनांक 25.05.2023 को सम्पन्न हुई परीक्षा समिति की 34 वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:--

1.	प्रो0 ओंकार सिंह, कुलपति, वी0मा0सिं0भ0, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून	अध्यक्ष
2.	डॉ0 कुसुम अरूणाचलम, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, दून विश्वविद्यालय देहरादून	सदस्य (ऑनलाइन)
3.	डॉ0 एस0 नैथानी, ई0सी0ई0, निदेशक, आई0 टी0 गोपेश्वर	सदस्य (ऑनलाइन)
4.	प्रो0 एम0के0 पाण्डा, ई0ई0डी0, जी0बी0पी0आई0ई0टी0, पौड़ी	सदस्य (ऑनलाइन)
5	डॉ0 अनिरुद्ध गुप्ता, प्रोफेसर, एम0ई0, बी0टी0के0आई0टी, द्वाराहाट, अल्मोड़ा	सदस्य (ऑनलाइन)
6.	डॉ0 अजीत सिंह, प्रोफेसर, सी0एस0ई0, बी0टी0के0आई0टी, द्वाराहाट, अल्मोड़ा	सदस्य (ऑनलाइन)
7.	डा0 वी0के0 पटेल, परीक्षा नियंत्रक, वी0मा0सिं0भ0, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून	सदस्य

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व मा0 कुलपति महोदय/अध्यक्ष, परीक्षा समिति द्वारा समिति के सभी सदस्यों एवं आमंत्रित सदस्यों का स्वागत किया गया जिसके उपरान्त बैठक प्रारम्भ की गयी।

बिन्दु संख्या--34--01--

परीक्षा समिति की 33 वीं बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि।

विनिश्चय-- परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा समिति की दिनांक 23.03.2023 को सम्पन्न 33 वीं बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या--34--02--

परीक्षा समिति की दिनांक 23.03.2023 को सम्पन्न 33 वीं बैठक में हुए निर्णयों के संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना समिति के सूचनार्थ।

विनिश्चय-- परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा समिति की 33 वीं बैठक दिनांक 23.03.2023 में हुए निर्णयों पर हुई कृत कार्यवाही से सहमति प्रदान की गयी। साथ ही परीक्षा संबंधी लम्बित भुगतान को 10 जून, 2023 तक पूर्ण करने एवं समस्त लम्बित प्रकरणों पर समयबद्ध कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई।

बिन्दु संख्या--34--03--

विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर 2022--23 एवं स्पेशल बैक पेपर के परीक्षाफल घोषित किये जाने की सूचना

विनिश्चय-- बैठक में चर्चा के उपरान्त परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर 2022--23 एवं स्पेशल बैक पेपर के लॉ एवं एम0 फॉर्मा पाठ्यक्रमों की परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित कर दिये गये है तथा अन्य पाठ्यक्रमों यथा-- B.ARCH, B.Pharm, B.TECH, BHMCT, M.Tech., MBA, MBA INTEGRATED & MCA के परीक्षाफल तैयार कर लिये गये है, उनका परीक्षाफल माह मई,2023 तक घोषित कर दिया जायेगा। परीक्षा समिति द्वारा की जा रही कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या--34--04

विश्वविद्यालय में पूर्व में प्रचलित पुर्नमूल्यांकन (Revaluation Process) की व्यवस्था में समयावधि निर्धारित किये जाने पर चर्चा एवं अनुमोदन

विनिश्चय-- बैठक में चर्चा के उपरान्त उपस्थित सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय में प्रचलित पुर्नमूल्यांकन (Revaluation

Process) की व्यवस्था को परीक्षाफल घोषित किये जाने की तिथि के उपरान्त 15 दिन के अन्दर पुर्नमूल्यांकन किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–34–05–

विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक, सहायक केन्द्र अधीक्षक, कक्ष निरीक्षक, लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी को परीक्षा डयूटी में पारिश्रमिक पूर्व कार्यालय ज्ञाप–1116/यू0टी0यू0/2017 दिनांक 17.05.2017 की भाँति दिये जाने पर चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चय–

परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में सेमेस्टर परीक्षाओं के केन्द अधीक्षक, सहायक केन्द्र अधीक्षक,कक्ष निरीक्षकों एवं आकस्मिकता व्यय को पूर्व में निर्धारित में इंगित पारिश्रमिक दरों की भाँति दिये जाने पर सहमति प्रदान की गयी है जिनका विवरण निम्नवत है:–

केन्द्र अधीक्षक	सम्पूर्ण परीक्षा हेतु एक	रू0 1200 प्रतिदिन एवं अधिकतम रू0 12000/– (निर्धारित)
सहायक केन्द्र अधीक्षक	सम्पूर्ण परीक्षा हेतु एक	रू0 1000 प्रतिदिन एवं अधिकतम रू0 10000/–(निर्धारित)
कक्ष निरीक्षक	30 छात्रों पर दो कक्ष निरीक्षक	रू0 250 प्रति पाली (निर्धारित)
Contingency	रू0 10 प्रति छात्र (निर्धारित)	

परीक्षा समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त पारिश्रमिक दिये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय की आगामी वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाय।

बिन्दु संख्या–34–06–

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान में संचालित Pharm.D: The duration of the course shall be six academic years (five years of study and one year of internship or residency) एवं Pharm.D. (Post Baccalaureate): The duration of the course shall be for three academic years (two years of study and one year internship or residency) पाठ्यकमों की समयावधि निर्धारित किये जाने पर चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चय–

बैठक में चर्चा के उपरान्त उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय Ordinance में Pharm.D & Pharm.D. (Post Baccalaureate) कोर्स को पूर्ण करने की अधिकतम समय (अवधि) की व्यवस्था का उल्लेख न होने के कारण विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों में संचालित Pharm.D पाठ्यकम को पूर्ण करने की अधिकतम समयावधि 09 वर्ष एवं Pharm.D. (Post Baccalaureate) पाठ्यकम की पूर्ण करने की अधिकतम समयावधि 03 वर्ष निर्धारित किये जाने पर सहमति प्रदान करते हुए यह निर्देश दिये गये है कि इसे विश्वविद्यालय की आगमी विद्या परिषद में रखा जाय।

बिन्दु संख्या–34–07–

शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिए एकेडमिक कैलेण्डर जारी किये जाने हेतु चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चय–

बैठक में चर्चा के उपरान्त परीक्षा समिति के सदस्यो द्वारा शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिए प्रस्तुत एकेडमिक कैलेण्डर (संलग्नक–1) पर सहमति प्रदान की गयी।

बिन्दुसंख्या–34–08– विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की सम सेमेस्टर 2022–23 की द्वारा सेमेस्टर परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में कतिपय प्रश्न unchecked या अन्य त्रुटि होने पर पुर्नमूल्यांकन शुल्क Online वापस किये जाने पर चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चय– बैठक में चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि सेमेस्टर परीक्षा जनवरी–फरवरी, 2023 की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन On screen evaluation होने के उपरान्त छात्रों द्वारा संबंधित विषय कितने अंक प्राप्त होने तथा छात्र ऑनस्क्रीन उत्तर पुस्तिका का अवलोकन के उपरान्त संबंधित छात्र द्वारा विषय की उत्तर पुस्तिकायें हेतु पुर्नमूल्यांकन हेतु निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करता है, तदोपरान्त संबंधित विषय की उत्तर पुस्तिका में विश्वविद्यालय द्वारा कराये गये On screen evaluation में unchecked या अन्य त्रुटि होने पर संबंधित अभ्यर्थी का पूर्ण पुर्नमूल्यांकन शुल्क Online वापस किये जाने पर सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण को आगामी वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

बिन्दु संख्या–34–09– तुलाज इन्स्टीटयूट, देहरादून में अध्ययनरत छात्र रो0न 220120101018 के विषय कोड–AHT003 उपस्थिति पंजिका में अनुपस्थिति होने के उपरान्त बण्डल में संबंधित उत्तर पुस्तिकायें उपलब्ध होने तथा रो0न0 220120101040 उपस्थिति पंजिका में अनुपस्थिति के स्थान पर खाली छोड़ा जाना के विषय में चर्चा एवं निर्णय

विनिश्चय– परीक्षा समिति द्वारा संबंधित प्रकरण पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया है कि तुलाज संस्थान द्वारा विषम सेमेस्टर 2022–23 में रो0न 220120101018 के विषय कोड–AHT003 की उपलब्ध करायी गयी उपस्थिति पंजिका में अनुपस्थिति दिखाये जाने के उपरान्त भी बण्डल में संबंधित उत्तर पुस्तिकां प्राप्त हुई तथा रो0न0 220120101040 उपस्थिति पंजिका में न उपस्थिति और न अनुपस्थिति दिखाये जाने के प्रकरण के प्रथम दृष्टितया अनुचित प्रतीत होने के कारण विस्तृत जांच हेतु समिति का गठन निम्नवत् किया गया है एवं उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन स्थगित करने का निर्णय लिया गया:–

1	डॉ0 एस0 नैथानी, प्रभारी निदेशक, आई0 टी0 गोपेश्वर	संयोजक
2	डॉ0 अनिरूद्ध गुप्ता, प्रोफेसर, एम0ई0, बी0टी0के0आई0टी, द्वाराहाट, अल्मोड़ा	सदस्य
3	डॉ0 विशाल रमोला, फैक्ल्टी ऑफ टैक्नोलाजी, वी0मा0सिं0भ0प्रौ0वि0वि0, देहरादून	सदस्य

उक्त संमिति से अपेक्षा की जाती है कि संबंधित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर जांच कर जांच आख्या 15 दिन में परीक्षा नियंत्रक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

बिन्दु संख्या–34–10–

विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा में प्रश्न पत्र निर्माण/ मूल्यांकनकर्ता/ मॉडरेशन/ उडन दस्ता/ पर्यवेक्षक/ मूल्यांकन कार्य में मुख्य परीक्षक/उप मुख्य परीक्षक/कोडिनेटर/डिप्टी कोडिनेटर को एक सेमेस्टर में रू0 30000/– सीमा को समाप्त किये जाने पर चर्चा एवं अनुमोदन

विनिश्चय– विश्वविद्यालय के सेमेस्टर परीक्षा में प्रश्न पत्र निर्माण/ मूल्यांकनकर्ता/ मॉडरेशन/ उडन दस्ता/ पर्यवेक्षक/ मूल्यांकन कार्य में मुख्य परीक्षक/उप मुख्य परीक्षक/कोडिनेटर/डिप्टी कोडिनेटर को एक सेमेस्टर में रू0 30000/– सीमा निर्धारित की गयी है। वर्तमान में उपयुक्त शिक्षकों से कोई

कार्य समानान्तर रूप में लिये जाने के दृष्टिगत एक सेमेस्टर में एक शिक्षक को पारिश्रमिक की कुल देय रू0 30000/- सीमा को समाप्त किये जाने पर सहमति प्रदान करते हुए निर्देश दिये गये कि संबंधित प्रस्ताव को आगामी वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

बिन्दु संख्या–34–11–

कुकरेजा इन्स्टीटयूट ऑफ मैनेजमैन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, देहरादून में सत्र 2018–21 के BHM & BScFD पाठ्यक्रम की स्पेशल बैक पेपर परीक्षा कराये जाने पर चर्चा एवं निर्णय।

विनिश्चय– परीक्षा समिति द्वारा बैठक में चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया है कि कुकरेजा इन्स्टीटयूट ऑफ मैनेजमैन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, देहरादून में सत्र 2018–21 के BHM & BScFD पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक स्पेशल बैक पेपर परीक्षा माह जुलाई,2023 में अन्तिम वर्ष के छात्रों हेतु आयोजित स्पेशल बैक पेपर परीक्षा के साथ संदर्भित छात्रों की अर्हता के दशा में कराये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या–34–12–

डॉ स्वाती सिंह राजपूत, असिस्टेंट, सिविल इजी0, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान को परीक्षा विभाग में विशेष कार्याधिकारी के पद नियुक्त किये जाने की सूचना एवं अनुमोदन।

विनिश्चय– परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग में सेमेस्टर परीक्षाओं के गोपनीय अन्य कार्यो की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए डॉ स्वाती सिंह राजपूत, असिस्टेंट, सिविल इजी0, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान को अपने पूर्व के दायित्वों के साथ–साथ परीक्षा विभाग में अग्रिम आदेशों तक विशेष कार्याधिकारी के पद तैनाती का संज्ञान लेते हुए कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–34–13– विश्वविद्यालय द्वारा स्पेशल बैक पेपर की परीक्षा कराये जाने के संबंध में चर्चा एवं अनुमोदन

विनिश्चय– बैठक में परीक्षा समिति द्वारा ऐसे सभी छात्र जो तत्समय अन्तिम सेमेस्टर/वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते है अथवा पूर्व के बैक पेपर रहते है तो उनकी स्पेशल बैक पेपर परीक्षा का आयोजन विगत से विद्यमान प्रचलन के अनुसार परीक्षाफल घोषित होने के दो माह के अन्दर कराये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

अन्य श्रेणी के सभी छात्रों हेतु बैक पेपर परीक्षा Ordinance की व्यवस्थानुसार घोषित परीक्षा सारणी के अनुसार सम्पन्न करायी जायेगी। ऐसी सभी बैक पेपर परीक्षा जो नियमित परीक्षा सारिणी के अनुसार संचालित होगी, उनकी परीक्षा शुल्क नियमित बैक पेपर परीक्षा की भाँति निर्धारित तथा अन्य बैक पेपर परीक्षा जिनका नियमित परीक्षा से भिन्न (Paper Code/ Syllabus) होगा या जो भिन्न समय पर संचालित होगी, वे सभी परीक्षायें स्पेशल बैक पेपर की श्रेणी में शामिल मानी जायेंगी तथा उसका शुल्क रू0 2000/- प्रति विषय निर्धारित किये जाने पर स्पष्टीकरण देते हुये पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

बिन्दु संख्या–34–14– एम0 फॉर्मा पाठ्यक्रम की Thesis Plagiarism जांच किये की व्यवस्था यथा–University will check the plagiarism of Dessertatio after getting a certificate from supervisor regading originality of the work and supervisor is also required to cetify that the plagiarism has already been checked at his/her own level. After two successive plagiarism (25% limit) checks, University will examine the dissertation for next plagiarism chek only after another six months, and after paying 50% amount of the registration fee by the candidate. Thereafter for every additional plagiarism check, it will be done after another six months by paying 50 % amont of the registration fee by the candidate.

विनिश्चय– बैठक में परीक्षा समिति के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय एम0फार्मा पाठ्यक्रम की Thesis Plagiarism जांच हेतु पूर्व प्रचलित व्यवस्था में दो बार जांच के स्थान पर 05 बार जांच किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी एवं इस हेतु प्रस्तुत शेष प्राविधान यथावत् रखने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में परीक्षा समिति की 34 वीं बैठक अध्यक्ष महोदय व सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

(डॉ0 वी0के0 पटेल)
परीक्षा नियंत्रक
सदस्य

25/5/23
(प्रो0 ओंकार सिंह)
मा0 कुलपति
अध्यक्ष

सलंग्नक -3

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की "विद्या परिषद्" की दिनांक 27 मई, 2023 को सम्पन्न हुई 15वीं बैठक का कार्यवृत्त।

वीर माधों सिंह भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की विद्या परिषद् की 15वीं बैठक दिनांक 27 मई, 2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे विश्वविद्यालय के "पंडित नारायण दत्त तिवारी कॉन्फ्रेंस हॉल" में मा0 कुलपति महोदय, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0 की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में निम्न मा0 सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1	प्रो0 ओंकार सिंह, कुलपति, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0, देहरादून	अध्यक्ष
2	प्रो0 के0के0एस0 मेर, प्रभारी निदेशक, बी0टी0के0आई0टी0, द्वाराहाट	सदस्य
3	प्रो0 बी0के0 सिंह, निदेशक, बी0आई0ए0एस0, भीमताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड	सदस्य
4	डॉ0 प्रहलाद सिंह, निदेशक, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देहरादून	सदस्य
5	डॉ0 यशपाल सिंह नेगी, निदेशक, एस0एच0आई0एम0टी0, नई टिहरी, उत्तराखण्ड।	सदस्य
6	प्रो0 आर0पी0एस0 गंगवार, प्रभारी निदेशक, कैंपस संस्थान, महिला प्रौ0 संस्थान, देहरादून	विशेष आमंत्रित सदस्य
7	डॉ0 संजीव नैथानी, प्रभारी निदेशक, कैंपस संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान, गोपेश्वर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
8	डॉ0 हेमंत के0 जोशी, कुलसचिव, कैंपस संस्थान, एनपीएसआईईटी,पिथौरागढ़ (संस्थान प्रतिनिधि)	विशेष आमंत्रित सदस्य
09	श्री विक्रम सिंह जंतवाल, वित्त नियंत्रक, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0, देहरादून	आमंत्रित सदस्य
10	डॉ0 वी0के0 पटेल, परीक्षा नियंत्रक, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0, देहरादून	आमंत्रित सदस्य
11	डॉ0 विशाल रमोला, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0, देहरादून	आमंत्रित सदस्य
12	डॉ0 यूसरा अहमद, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0, देहरादून	आमंत्रित सदस्य
13	प्रो0 सत्येन्द्र सिंह, कुलसचिव, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0, देहरादून	पदेन सदस्य सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव महोदय द्वारा माननीय कुलपति महोदय का आभार व्यक्त करते हुए बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया एवं विश्वविद्यालय द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षण कार्यो के संचालन हेतु किये जा रहे प्रयासों व सभी हितधारकों के सहयोग की अपेक्षा की गई। तदउपरान्त बैठक में माननीय सदस्यों के समक्ष चर्चा/अनुमोदन हेतु ऐजेण्डा बिन्दु प्रस्तुत किये गये:–

बिन्दु सं0–15.01

विद्या परिषद की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों को जारी किये गये थे, जिस पर किसी सदस्य द्वारा कोई टिप्पणी प्राप्त नही हुई है। अतः परिषद् से अनुरोध है कि विद्यापरिषद् की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

विनिश्चय:–

बैठक में सर्वसम्मिति द्वारा विद्या परिषद् की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया (सलंग्नक–1)

बिन्दु सं0–15.02

विद्या परिषद की दिनांक 20 मार्च, 2023 को संपन्न हुई 14वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना।

विनिश्चय:–

विद्या परिषद् के सम्मानित सदस्यों द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2023 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में पूर्ण हो चुकी कार्यवाहियों हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही गतिमान है, उन पर शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

बिन्दु सं0—15.03

स्ववित्त पोषित स्वरूप में संचालित 05 इंजीनियरिंग संस्थानों सहित बौन इंजीनियरिंग संस्थान उत्तरकाशी को वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों के रूप में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 564/2023/XLI-A65/2022 (ई 38893) तथा दिनांक 24 मई, 2023 तथा मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 15 मई, 2023 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या 639/XLI-A/2023—65/2022 (ई 38893) दिनांक 24 मई, 2023 में लिये गये निर्णयानुसार तकनीकी संस्थानों यथा—प्रौद्योगिकी संस्थान, गोपेश्वर, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून, डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर, नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ़, टी0एच0डी0सी0—आई0एच0ई0टी0, नई टिहरी तथा बौन इंजीनियरिंग कॉलेज, उत्तरकाशी का संचालन विश्वविद्यालय प्रथम विनियमावली—2018 के बिन्दु संख्या 4.04 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार किये जाने तथा इन संस्थानों को विश्वविद्यालय का परिसर संस्थान बनायें जाने के दृष्टिगत सभी संस्थानों का संचालन विश्वविद्यालय में पूर्व से विद्यमान "अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय" के अन्तर्गत किये जाने सम्बन्ध में परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—15.04—

विश्वविद्यालय तथा समस्त कैम्पस संस्थानों में नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता/कमी के दृष्टिगत संविदा पर 11 माह की अवधि पर शिक्षक रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्यापरिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा उपरान्त विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्क्रमों व कैम्पस संस्थानों में छात्र संख्या के आधार पर AICTE द्वारा निर्धारित छात्र—शिक्षक अनुपात 1:20 के अनुसार अनुमन्य संख्या की सीमा में शिक्षकों की कमी को पूर्णतया अस्थायी व स्ववित्तपोषित आधार पर आउटसोर्स/नियम—शर्तो (Terms & Conditions based Engagement - Short term appointment) पर 11 माह की अल्पावधि नियुक्ति, जो कि नवीनीकरण योग्य नही होगी, पर असिस्टैंट प्रोफेसर (Short term appoitment) रू0 57700.00 नियत वेतन पर रखे जाने तथा सम्बन्धित नियुक्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों (Reservation Policy) का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—15.05—

विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थान "बौन इंजीनियरिंग कॉलेज, उत्तरकाशी" में शैक्षिक सत्र 2023—24 से अध्ययन—अध्यापन आदि अन्य शिक्षणेत्तर कार्य प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

उत्तराखण्ड सरकार के आदेश सं0 564/2023/XLI-A65/2022(ई 38893) दिनांक 09 मई, 2023 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रौद्योगिकी संस्थान, बौन, उत्तरकाशी को वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, के कैम्पस संस्थान के रूप में संचालित किये जाने के साथ निम्न् पर अनुमोदन प्रदान किया गया:—

1. संस्थान में सत्र 2023–24 से बी0टैक0 की दो विधाओं यथा B.Tech Computer Science & Engineering में 120 क्षमता तथा B.Tech Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) में 60 क्षमता के साथ प्रवेश देते हुये संस्था का संचालन किया जायेगा।

2. संस्था में उपलब्ध भवनों में प्रयोगशालाओं, उपकरणों की स्थापना, कक्षाओं हेतु समुचित फर्नीचर की उपलब्धता, कार्यालयों, शिक्षकों, निदेशक कक्षों में फर्नीचर, सेमिनार रूम आदि के साथ संस्था के संचालन हेतु सुसज्जित किया जायेगा।

3. निर्धारित क्षमता की छात्र संख्या के साथ संस्था के संचालन हेतु निदेशक के साथ–साथ शिक्षकों की उपलब्धता कराते हुये शिक्षण–प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालित किया जायेगा, जिस हेतु AICTE द्वारा निर्धारित मानकानुसार 1:20 के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता 11 माह के Short term appointment जो कि नवीनीकरण योग्य नही होगा पर कराने हेतु शिक्षकों को आउटसोर्स/नियम–शर्तों (Terms & Conditions based Engagement - Short term appointment) के माध्यम से रखते हुये संचालन किया जायेगा।

4. संस्थान में निदेशक की तैनाती हेतु तदर्थ व्यवस्था स्वरूप नियमित नियुक्ति होने तक प्रभारी निदेशक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

बिन्दु सं0–15.06–

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किये जाने वाले आगामी दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

बैठक में चर्चा उपरान्त विश्वविद्यालय अधिनियम–2005 तथा प्रथम विनियमावली–2018 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उत्कृष्ट "प्राविधिक शिक्षा" व विज्ञान और "टैक्नोलॉजी" में योगदान देने वाले व्यक्तियों को मानद उपाधि प्रदान किये जाने तथा इस कार्य हेतु तीन–तीन नाम का पैनल डी.लिट. व डी.एस.सी. हेतु निर्धारित किये जाने पर विद्यापरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति को नाम तय करने हेतु अधिकृत करते हुए मानद उपाधि दिये जाने की कार्यवाही करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–15.07–

विश्वविद्यालय कैंपस संस्थानों द्वारा लिये जा रहे शिक्षण शुल्क में एकरूपता लाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों द्वारा लिये जा रहे शिक्षण शुल्क में एकरूपता लाये जाने दृष्टिगत सभी कैंपस संस्थानों हेतु शिक्षण शुल्क रू0 75000/– वार्षिक (अन्य शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित किये जाने तथा विश्वविद्यालय में संचालित बी0टैक0 व बी0फार्म0 पाठ्यक्रमों हेतु अन्य अतिरिक्त शुल्क User Charges तथा Other Charges **संलग्नक–2** के अनुसार रखे जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही यही User Charges तथा Other Charges अन्य सभी कैंपस संस्थानों में भी सत्र 2023–24 में नये प्रवेशार्थियों पर लागू किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त के साथ ही आवश्यकतानुसार प्रत्येक संस्थान में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क का निर्धारण संस्था के निदेशक के प्रस्ताव पर कुलपति के स्तर से अनुमोदित किये जाने पर भी विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—15.08—

विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2023—24 से संचालित बी0टैक0 (कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम में सीट क्षमता में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा उपरान्त वर्तमान आवश्यकताओं के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ टैक्नोलॉजी में स्ववित्त पोषित आधार पर शैक्षिक सत्र 2023—24 से संचालित किये जाने वाले बी0टैक0 कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (B.Tech Computer Science & Engg.) की 60 सीट क्षमता को बढ़ाकर 120 किये जाने पर विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—15.09—

विश्वविद्यालय कैंपस संस्थान महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून व अन्य परिसर संस्थानों व विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु एन0सी0सी0 (National Cadet Corps) व एन0एस0एस0 (National Service Scheme) की शाखा स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा हुई। विश्वविद्यालय एवं इसके कैंपस संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु एन0सी0सी0 (National Cadet Corps) व **एन0एस0एस0** (National Serivice Scheme) की शाखा स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया। विद्यापरिषद् द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी संस्थानों में भी एन0सी0सी0 (National Cadet Corps) व स्ववित्त पोषित आधार पर एन0एस0एस0 (National Serivice Scheme) की शाखा छात्र/छात्राओं हेतु संचालित किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर पर सभी सम्बद्ध संस्थानों को सूचित किया जाये तथा सम्बद्ध संस्थान स्तर पर भी उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

बिन्दु सं0—15.10—

विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों में बी0टैक0 (कम्प्यूटर साइंस व इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम में सीट क्षमता में वृद्धि (अतिरिक्त सैक्शन—60 सीट) किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा हुई। विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों यथा— **महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून,** टी0एच0डी0सी0—आई0एच0ई0टी0, नई टिहरी, डॉ0 **ए0पी0जे0ए0के0आई0टी0, टनकपुर, आई0टी0 गोपेश्वर** द्वारा संचालित बी0टैक0 (कम्प्यूटर साइंस व इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2023—24 से प्रत्येक संस्था में सीट क्षमता में 60 सीट की वृद्धि (अतिरिक्त सैक्शन—60 सीट) तथा **नन्ही परी सीमान्त तकनीकी संस्थान, पिथौरागढ़ में बी0टैक0** (कम्प्यूटर साइंस व इंजीनियरिंग) की 120 सीट की क्षमता वृद्धि किये जाने हेतु विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—15.11—

विश्वविद्यालय में Academic Staff Development Center स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा हुई। विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थान व सम्बद्ध संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण क्षमता की गुणवत्ता बढ़ायें जाने की आवश्यकता दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से Acadmic Staff Development Centre की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—15.12—

विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थान टी0एच0डी0सी0—आई0एच0ई0टी0, नई टिहरी में पूर्णकालिक व अंशकालिक M.Tech (Hydro & Renewable Energy) 18 सीट क्षमता प्रत्येक के साथ प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा उपरांत विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थान टी0एच0डी0सी0—आई0एच0ई0टी0, नई टिहरी में M.Tech (Hydro & Renewable Energy) 18 सीट क्षमता के साथ पूर्णकालिक पाठ्यक्रम (अवधि—02 वर्ष) एवं अंशकालिक पाठ्यक्रम (अवधि—03 वर्ष) यह भी अनुमोदित किया गया कि विश्वविद्यालय के एम0टैक0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क के समान पूर्णकालिक एम0टैक0 का शुल्क व अंशकालिक एम0टैक0 हेतु विश्वविद्यालय के अंशकालिक एम0बी0ए0 के समान शिक्षण शुल्क के साथ संदर्भित एम0टैक0 को प्रारम्भ किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—15.13—

विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों में अतिथि व्याख्याता को विश्वविद्यालय में प्रचलित रू0 1000/— प्रति पीरियड की दर से रू0 35000/— की सीमा तक भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा के उपरान्त सभी कैंपस संस्थानों में विश्वविद्यालय में प्रचलित रू0 1000/— प्रति पीरियड व अधिकतम रू0 35000/— प्रति माह की दर से अतिथि व्याख्याता आबद्ध करने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित।

बिन्दु सं0—15.14—

विश्वविद्यालय में UTU Centre for Hemp Processing Technology Development स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा "UTU Centre for Hemp Processing Technology Development" स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित।

बिन्दु सं0—15.15—

विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में शैक्षिक सत्र 2023—24 हेतु तैयार किये गये Academic Calender मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

विद्या परिषद् द्वारा शैक्षिक सत्र 2023—24 के एकेडमिक कैलेण्डर अनुमोदित किया गया **(सलंग्नक—3)**। एकेडमिक कैलेण्डर में आगामी आकस्मिकताओं के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार वांछित संशोधन करने हेतु विद्या परिषद् द्वारा माननीय कुलपति को अधिकृत किया गया।

बिन्दु सं0—15.16—

शैक्षिक सत्र 2023—24 में विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही विद्यापरिषद् के सूचनार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा हुई। विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2023—24 में सभी सम्बद्ध संस्थानों, स्वायत्तशासी संस्थानों, परिसर संस्थानों एवं कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी, गोबिन्द बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, पंतनगर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णयानुसार पंजीकरण एवं काउंसलिंग कार्यक्रम तैयार करके पूर्व प्रचलित व्यवस्थानुसार विभिन्न चरणों में ऑनलाईन काउंसलिंग कराते हुए एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—15.17—

विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों के लोगो, पैड, बोर्ड, वेबसाईट आदि पर परिवर्तन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्यापरिषद् के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्ततु।

विनिश्चयः—

बैठक में चर्चा हुई। विद्यापरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के संचालित 5 कैंपस संस्थानों के लोगो, पैड, बोर्ड, वेबसाईट आदि पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये जाने तथा प्रौद्योगिकी संस्थान बौन, उत्तरकाशी हेतु नये लोगो, पैड, बोर्ड आदि तैयार कर **(सलंग्नक–4 के अनुसार)** लागू किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी कैंपस संस्थानों में आयोजित किये जाने वाले प्रत्येक कार्यक्रम का शुभारम्भ विश्वविद्यालय "कुलगीत" से ससम्मान किया जाये।

बिन्दु सं0—15.18

आई0एम0ए0, देहरादून के सभी Graduate Gentlemen Cadets जो आई0एम0ए0, देहरादून में द्वितीय एवं तृतीय अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है, हेतु विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये गये **PG Diploma in Military Studies and Defence Management** पाठ्यक्रम के अन्तर्गत द्वितीय सेमेस्टर में अध्ययरत छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर पर प्रदत्त नामांकन संख्या तथा एच0एन0बी0जी0यू0, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित छात्रों को प्रथम सेमेस्टर में प्रदत्त नामांकन संख्या को विश्वविद्यालय अंकतालिका व उपाधि में संयुक्त रूप से इंगित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्यापरिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—

बैठक में विस्तृत चर्चा उपरांत छात्रहित दृष्टिगत आई0एम0ए0, देहरादून के सभी Graduate Gentlemen Cadets जो विश्वविद्यालय में PG Diploma in Military Studies and Defence Management पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है, विश्वविद्यालय स्तर पर प्रदत्त नामांकन संख्या तथा एच0एन0बी0जी0यू0, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित छात्रों को प्रथम सेमेस्टर में प्रदत्त नामांकन संख्या को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत की जाने वाली अंकतालिका व उपाधि में संयुक्त रूप से इंगित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—15.19

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद।

बिन्दु सं0—15.19 (1)

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान में संचालित **Pharm.D : The duration of the course shall be six academic years (five years of study and one year of internship or residency)** एवं **Pharm.D. (Post Baccalaureate): The duration of the course shall be for three academic years (two years of study and one year internship or residency)** पाठ्यक्रमों में समयावधि निर्धारित किये जाने पर चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चयः—

चर्चा हुई। विश्वविद्यालय Ordinance में Pharm.D & Pharm.D. (Post Baccalaureate) कोर्स को पूर्ण करने की अधिकतम समय (अवधि) की व्यवस्था का उल्लेख न होने के कारण विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों में संचालित Pharm.D. पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम समयावधि 09 वर्ष एवं Pharm D. (Post Baccalaureate) पाठ्यक्रम की पूर्ण करने की अधिकतम समयावधि 03 वर्ष निर्धारित किये जाने पर विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–15.19 (2)

ग्रुलॉज इंस्टीट्यूट, देहरादून के कतिपय एम0टैक0 छात्रों, जिनका पंजीकरण सत्र 2020–21 में हुआ था, के विगत में करायी गयी ऑनलाईन परीक्षा के परीक्षाफल विलम्ब से घोषित होने के कारण Odd Semester के Carry over विषयों की जनवरी–फरवरी, 2023 में सम्पन्न Special Carry Over की परीक्षा से वंचित रह गये है एवं इनकी 2022–23 में निर्धारित अवधि की समय–सीमा समाप्त हो गयी है, सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के निर्णयार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

चर्चा हुई। विश्वविद्यालय एम0टैक0 आर्डिनेन्स (M.Tech. Ordinance) के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित छात्रों को अपना पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2023–24 तक पूर्ण किये जाने तथा छात्रहित दृष्टिगत ऐसे छात्रों को 01 वर्ष समयावधि विस्तार दिये जाने पर विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–15.19 (3)

पी0एच0डी0 पाठ्यकम के अन्तर्गत सत्र 2023–24 से विश्वविद्यालय के परिसर संस्थानों हेतु Research cum Teaching Fellowship Scheme के अन्तर्गत एवं बिना फेलोशिप के विभिन्न विषयों में प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

बैठक में चर्चा उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पी0एच0डी0 पाठ्यकम के अन्तर्गत सत्र 2023–24 से विश्वविद्यालय के परिसर संस्थानों हेतु Research cum Teaching Fellowship Scheme के अन्तर्गत एवं बिना फेलोशिप के उपलब्ध विषयों में प्रवेश दिये जाने हेतु विषयवार सीटों की सलंग्न सूची (सलंग्नक–5) अनुसार विभिन्न विषयों में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में सभी सदस्यों का धन्यवाद् ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(प्रो0 सत्येन्द्र सिंह)
कुलसचिव

(प्रो0 ओंकार सिंह)
कुलपति

अनुलग्नक - 5

GENERAL RECRUITMENT RULES FOR FOR THE POST OF DIRECTOR IN CAMPUS INSTITUTIONS OF UNIVERSITY

As per clause 4.04 of the Uttarakhand Technical University First regulations 2018 vide no. 1238/XLI-1/2018-06/2008 dated 17th December 2018, the campus institutions of the University are supposed to have Director/Principal who will be the academic, administrative, and research head of the institution. The appointment of the Director/Principal is to be done with the approval of the State Government for the period of 3 years / superannuation whichever is earlier on contract.

In view of above, the appointment of the Director/Principal in the campus institutions of the University shall be done as per the provisions laid down in the AICTE/UGC norms as applicable from time to time. The process of recruitment shall be carried out following the steps detailed below.

1. University will be seeking permission from State Government for issuing the advertisement for recruitment of the Director/Principal of the Campus institute.
2. After receipt of the permission for carrying out the recruitment of the Director/Principal from the state Government, the University will be issuing a detailed advertisement on its websites (University & campus institutions) and issue advertisement in at least one each of the National English and Hindi daily newspapers / Employment News, and to the premier technical institutions of the country for wide circulation to attract good candidates with the pay, qualifications, experience and age detailed below which will be as prescribed by AICTE/UGC/State Government/University from time to time.

Pay:
Pay matrix of Level-14, Entry pay Rs. 144200/- per month with special allowance of Rs. 6750/- as prescribed by AICTE from time to time and as admissible to State Government employees. The Post shall be of Contractual in nature and tenure will be for a period of 3 years or superannuation whichever is earlier.

Qualifications and experience: -

The qualification and experience for the post shall be as per AICTE regulation notified on dated 01 March, 2019 (as amended from time to time by AICTE).

Qualifications:

a) Ph.D degree and First Class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch;
b) At least two successful Ph.D guided as supervisor/Co-Supervisor and minimum 8 research publications in SCI Journals/UGC/AICTE approved list of journals;
c) Minimum 15 years of experience in teaching/research/industry, out of which at least 3 years shall be at the post, equivalent to that of Professor.

In case of research experience, good academic record and books/research paper publication/IPR/Patent record shall be required as deemed fit by the expert members of the Selection Committee. If the experience in Industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to Professor level with active participation record in devising/designing, developing, planning, executing, analyzing, quality control, innovating, training, technical books/research paper publications/IPR patents etc. as deemed fit by the expert members of the Selection Committee. Flair for Management and leadership is essential.

Age: The applicant should not be above 57 years of age on the date of advertisement or as prescribed by the State Government.

3. The draft of advertisement prepared for one of the campus Institute is enclosed herewith as a sample. Similar advertisements will be issued for calling the applications for the post of Director/Principal in campus institutes of the University.

4. The Registrar of the University will be compiling the applications received by due date along with the applicable application fee (as prescribed by the University from time to time) and process it for next step of screening. The Screening Committee shall be constituted by the Vice Chancellor and the composition of the committee shall be as follows;

(i) The Vice Chancellor or his/her nominee shall be chairperson of the screening committee

(ii) Two Professors of engineering/technology/management from the University approved panel of Experts nominated by the Vice Chancellor

The Screening Committee shall be looking into the eligibility and suitability of the candidates to be recommended for being called for interview before Selection Committee of Director/Principal while ensuring that there is no enquiry ongoing/contemplated against the recommended candidate. The Registrar of University shall be presenting officer for the Screening Committee and shall be putting up the report of Screening Committee to the Vice Chancellor for further action.

5. University shall be scheduling the interview of candidates recommended by the Screening Committee before the Selection Committee for the Director/Principal. The Selection Committee shall be constituted as per the provisions laid down by AICTE/UGC with Vice Chancellor as its Chairperson. The composition of the Selection Committee for the Director/Principal of campus institute shall be as prescribed by the AICTE/UGC as applicable from time to time.

6. After the interview of candidates by the Selection Committee for the Director/Principal, the selection recommendations shall be sent by the Registrar to the Technical Education Department of Uttarakhand Government for necessary approval before the same is approved by the Executive Council of the University.

7. After receipt of the approval of the State Government, the Executive Council shall be considering the recommendations and accord approval for appointment of the Director for the period notified in the respective advertisement. In case of the delay in the scheduling of the Executive Council meeting, the Vice Chancellor shall be authorized to approve the appointment of Director/Principal of the Campus Institute of the University which could be ratified in the forthcoming Executive Council meeting of the University. Registrar of the University shall be issuing the appointment order to the selected candidate.

8. The operating portion of the sample appointment order shall be as follows;

Appointment Order

Subsequent to the approval of State Government, the Executive Council of the Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University hereby offers the appointment to ……………………..as Director of NAME OF CAMPUS INSTITUTE on regular basis in the pay band of Level 14, Entry pay Rs. 144200/- per month with allowances as admissible to Uttarakhand State Government employees on terms and conditions detailed herein for a period of 3 years/superannuation whichever is earlier on contract.

Terms and Conditions:

a) No travelling allowance will be paid for joining the said post.

b) The selected candidate is expected to join within 15 days of the issue of the appointment order and submit the joining report to the Registrar of the University along with relieving from the previous employment.

c) The services of the candidate shall be governed by the rules and regulations in force from time to time as applicable to other Government servants in the state of Uttarakhand / University.

d) In case of any information furnished/supplied by candidate in the process of recruitment to this post is found false or he/she is found to have willfully suppressed any material/information his/her appointment shall be terminated and necessary action will be taken as per rules.

e) In case of requirement, the University/State Government reserves the right to post the candidate in any of the technical institutions in the state of Uttarakhand and candidate will have to serve at any location.

f) The Director is liable to abide by the provisions of the Act and Regulations of the University and orders issued by state Government from time to time.

g) The appointment is purely on contract basis and can be terminated on one month notice by either side.

Registrar

Copy to: As decided from time to time including the candidate.

Registrar

Veer Madho Singh Bhandari

Uttarakhand Technical University, Dehradun, India

(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act No. 415/2005 by Uttarakhand Government)

RECRUITMENT FOR THE POST OF DIRECTOR

Advt. No. : Advt./VMSB-UTU/ / / /2022-23 Date :

Applications are invited for the posts of Director in campus institutions of Veer Madho Singh Uttarakhand Technical University at **Dr. APJ Kalam Institute of Technology, Tanakpur (Champawat)** and **Nanhi Pari Seemant Institute of Technology, Pithoragarh, (iii) Institute of Technology, Gopeshwar***, in the pay matrix of Level-14, Entry pay Rs. 144200/- with special allowance of Rs. 6750/- as prescribed by AICTE from time to time and as admissible to State Government employees. The appointment to the Post shall be Contractual in nature and tenure will be for a period of 3 years or the upper age limit as prescribed by State Govt. whichever is earlier and the appointment shall be made with the approval of Uttarakhand State Government.

***Those who had applied earlier for the post of Director Institute of Technology Gopeshwar vide advertisement no. DO/22/09/REC01 dated 30.09.2022 need not to apply again however they may submit updated application form in respect to their candidature by above last date.**

Qualifications and experience: -

The qualification and experience for the post shall be as per AICTE regulation notified on dated 01 March, 2019 (as amended from time to time by AICTE). For details, please visit the University website www.uktech.ac.in

QUALIFICATION:

a) Ph.D degree and First Class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch;

b) At least two successful Ph.D guided as supervisor/Co-Supervisor and minimum 8 research publications in SCI Journals/UGC/AICTE approved list of journals;

c) Minimum 15 years of experience in teaching/research/industry, out of which at least 3 years shall be at the post, equivalent to that of Professor.

In case of research experience, good academic record and books/research paper publication/IPR/Patent record shall be required as deemed fit by the expert members of the Selection Committee. If the experience in Industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to Professor level with active participation record in devising/designing, developing, planning, executing, analysing, quality control, innovating, training, technical books/research paper publications/IPR patents etc. as deemed fit by the expert members of the Selection Committee. Flair for Management and leadership is essential.

Age: - The applicant should not be above 57 years of age on the date of advertisement.

The eligible candidate may submit their application on plain paper as a covering letter giving their complete resume with attested copies of testimonials, certificate of age proof, administrative experience and research work etc. Application of the candidates in service will be considered only if it is received through proper channel. However, such candidates may send an advance copy of their application directly within prescribed date and time. The duly filled complete application on prescribed format along with demand draft and all relevant documents, proof of research work etc. should be sent by Registered Post/Speed post to "The Registrar, Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University, Prem Nagar, Sudhowala, Dehradun-248007 (Uttarakhand)" so as to reach latest by -----------, 5:00 PM. The name of the post should be clearly mentioned on the envelope containing the application. Incomplete application and applications received after the last date i.e -----------------, 5:00 PM will be summarily rejected. No TA/DA will be paid for attending the Interview. A demand draft of Rs. 2000/- in favour of "Finance Controller, Uttarakhand Technical University" payable at Dehradun should be enclosed with the application form. Advertisement and application format is available on the University website www.uktech.ac.in

Registrar

Veer Madho Singh Bhandari
Uttarakhand Technical University, Dehradun, India
(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act No. 415/2005 by Uttarakhand Government)

APPLICATION FORMAT FOR THE POST OF DIRECTOR

Affix the latest passport size colour photograph

Advt. No...

Posts Applied for (please tick any one or both as per your choice)
(i) Dr. APJ Kalam Institute of Technology, Tanakpur
(ii) Nanhi Pari Seemant Institute of Technology Pithoragarh,

1. General Information of Applicant:

Name (In capital letter)	
Father's Name (In capital letter)	
Date of Birth (DD/MM/YYYY)	
Gender	
Age as on date of advertisement	
Correspondence Address	
Mobile No.	
Email id	
Nationality	

2. Present Position:

(a)	Designation	
(b)	Organization	
(c)	Pay Scale	
(d)	Date of appointment to the present post	
(e)	Total experience (in year and month)	

3. Details of experience possessed as per eligibility criteria:

S.No	Post held	Pay Scale	Organization	Nature of duties	Experience in years and months

4. Educational Qualification:

S.No	Qualification	University	Year	Subject/ Topic	Percentage Achieved	Distinction etc.
1.	High School as proof of age					
2.	UG (B.Tech./equivalent)					
3.	PG (M.Tech./ME)					

5.	Post-Doctoral					

5. Administrative Experience / Post (s) and Responsibilities held details:

S.No	Post	Organization/ University	Duration		Experience (in Years and Months)
			From (Date)	To (Date)	
1.	Dean/Associate Dean				
2.	Head of Department				
3.	Professor-in-charge and wardenship etc.				
4.	Member of Academic Council				
5.	Member of Executive Council/BoG				
6.	Member of Professional/ Academic Bodies				
7.	Others (Specify)				

6 (a) Academic / Teaching experience & responsibilities (in chronological order from latest to oldest):

S.No	Post	Organization/ University	Duration		Experience (in Years and Months)
			From (Date)	To (Date)	

(b) Participation and contribution in relevant area in Technical Education:

	Organization	Area of specialization
Visiting Professor		
Resource Person		
Other (Specify)		

(c) Involvement with formulation of academic programmes:

S. No	Nomenclature of Innovative Academic programmes formulated	Date of approval by Academic Council	Year of Introduction

(d) Important MoUs formulated for academic collaborations:

S. No	MoU formulated	Name of Agencies/ Departments involved	Year of MoU

(e) Position of Chairs:

S. No	Name of Chair	Name of Agencies/ Departments involved	Period of holding the Chair

7. International academic exposure, if any:

S.No.	Post/ Assignment	Organization/ University	Area of Assignment	Duration		In years & months
				From	To	

8. Scholarly achievement:

A. Contribution to Journal and Books:

	Details
Books authored	
Editor in Chief	
Editorships	
Peer reviewer for	
Member of the International Advisory Board	
Other (Specify)	

B. Published Patents: Published / Granted Patents

S. No.	Description / Titles (1)	Application with date (2)	Published / Granted (3)

C. Publication:

C. I Kindly provide list of scholarly publications in recognized professional and/or academic journals.

Total Publications:

S. No.	Vol., Issue, Year	Title	Name of the Journal	Referred journal or not	Please specify (SCI/SCIE/SCOPUS/ESCI/Web of Science etc.) indexed

C. II List of articles in popular magazines or

newspapers Total Articles ....

S. No	Date	Title	Name of Magazine/ Newspaper

D. Participation and scholarly presentations in conferences:

D. I National:

S. No	Date	Title of Conference or Institution	Title / Subject of presentation (if made)

D. II International:

S. No	Date	Title of Conference or Institution	Title / Subject of presentation (if made)

E. Participation and contribution in National/ International academic and professional programme:

		Number(s)
Plenary Lecture/ Invited Talks	International	
	National	
Congresses attended	International	
	National	
Examinership etc.	International	
	National	
Other (Specify)	International	
	National	

9. Research Projects:

S. No	Client/ Organization's Name	Nature of Projects	Duration of project (Start year and end year)	Amount of grant (Rupees)

10. Consulting experience:

List key consulting assignments undertaken

S. No.	Client/ Organization name	Nature of assignment	Duration of assignment

11. (a) Honours/ Awards & Fellowships for outstanding work:

Sl No.	Name of Award/ Fellowship	Elected/ Honorary Fellow	Awarded by	Year of Award

11.(b) Membership of societies and their names

S.No.	Membership of societies and their names

12. Number of Ph.D. Guided/ Supervised

Name of Student	Registration No.	University/ Institute	Date of Ph.D awarded

13. Strengths (justification in support of yours candidature) (in 100 words) :

14. Your vision for the Institute (upto 500 words) :

15. Details of Referees, if any :

S.No.	Name of the referees	Post held by Referee	Email	Phone No.	Mobile No

I, hereby declare that all the statements/ particulars made/ furnished in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I also declare and fully understand that in the event of any information furnished being found false or incorrect or incomplete at any stage, my services are liable to be terminated without any notice.

Place: (Signature of the applicant)

Date:

Veer Madho Singh Bhandari Uttaarakhand Technical University Campus Institute

Dr. A.P.J. Abdul Kalam Institute of Technology

Aambag, Tanakpur, Uttarakhand- 262309, INDIA

https://ittanakpur.ac.in Email: director.ittanakpur@gmail.com Phone No. 9548302038

Veer Madho Singh Bhandari Uttaarakhand Technical University Campus Institute

Dr. A.P.J. Abdul Kalam Institute of Technology

Aambag, Tanakpur, Uttarakhand- 262309, INDIA

https://ittanakpur.ac.in Email: director.ittanakpur@gmail.com Phone No. 9548302038

Veer Madho Singh Bhandari Uttaarakhand Technical University Campus Institute
Nanhi Pari Seemant Engineering Institute
Viklang Bhavan, G.I.C. Campus, Link Road, Pithoragarh, Uttarakhand- 262502, INDIA
https://sitp.ac.in Email: sitpithoragarh@gmail.com Phone No. 06399354818

Veer Madho Singh Bhandari Uttaarakhand Technical University Campus Institute
Nanhi Pari Seemant Engineering Institute
Viklang Bhavan, G.I.C. Campus, Link Road, Pithoragarh, Uttarakhand- 262502, INDIA
https://sitp.ac.in Email: sitpithoragarh@gmail.com Phone No. 06399354818

Veer Madho Singh Bhandari Uttaarakhand Technical University Campus Institute
THDC Institute of Hydropower Engineering and Technology
Bhagrathipuram, Tehri, Tehri Garhwal Uttarakhand- 249124, INDIA
https://thdcihet.ac.in Email: patodirector@thdcihet.ac.in Phone No. 01376-236816, 236633

Veer Madho Singh Bhandari Uttaarakhand Technical University Campus Institu
THDC Institute of Hydropower Engineering and Technology
Bhagrathipuram, Tehri, Tehri Garhwal Uttarakhand- 249124, INDIA
https://thdcihet.ac.in Email: patodirector@thdcihet.ac.in Phone No. 01376-236816, 236633

Veer Madho Singh Bhandari Uttaarakhand Technical University Campus Institute

Institute of Technology, Gopeshwar

Gopeshwar Kothialsain, Chamoli Uttarakhan- 246424, INDIA

https://itgopeshwar.ac.in Email: itgopeshwar@gmail.com Phone No. 9720651770

Veer Madho Singh Bhandari Uttaarakhand Technical University Campus Institute

Institute of Technology, Gopeshwar

Gopeshwar Kothialsain, Chamoli Uttarakhand- 246424, INDIA

https://itgopeshwar.ac.in Email: itgopeshwar@gmail.com Phone No. 9720651770

Veer Madho Singh Bhandari Uttaarakhand Technical University Campus Institute
Women Institute of Technology
PO- Chandanwadi, Vill-Suddhowala, Dehradun, Uttarakhand- 248007, INDIA
www.wit.ac.in Email: **directorwit2012@gmail.com** Phone No.7668374877

Veer Madho Singh Bhandari Uttaarakhand Technical University Campus Instit
Women Institute of Technology
PO- Chandanwadi, Vill-Suddhowala, Dehradun, Uttarakhand- 248007, INDIA
www.wit.ac.in Email: **directorwit2012@gmail.com** Phone No.7668374877

Veer Madho Singh Bhandari Uttaarakhand Technical University Campus Institute

Institute of Technology, Baun, Uttarkashi

-------------------------------- Uttarakhand- 249124, INDIA

https:---------- Email: --------------------- Phone No. -----------------------

Veer Madho Singh Bhandari Uttaarakhand Technical University Campus Institute

Institute of Technology, Baun, Uttarkashi

---------------- Uttarakhand- 249124, INDIA

Email: -------------------- Phone No. -------------------------

https:----------

संलग्नक-7

Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun

Fee Structure For 2023-24 B. PHARM.

(B.Tech & PG Diploma)

Sl.No.	Particular	B.Tech.Fee (inRs.) Annual
A	**TuitionFee**	
	BTECH / B. PHARM.	**75000**
	PG DIPLOMA	**35000**
B	**University Fees (Annual Charges)**	
	Enrollment Fee (One Time Fee)	1500
	Registration Fee (One Time Fee)	300
	Degree Fee (One Time in Final 4th Year)	500
	Exam Fee	5000
	Sport Fee	400
	Development Fee	400
	Student Welfare Fee	300
	Total	**8400**
C	**User Charges**	
	RecreationCharges	1000
	Identity Card Charges	100
	MagazineCharges	100
	Computing infra Charges	2000
	University Day Activity Charges	500
	Training&Placement Charges (One Time in 3rd Year)	1000
	Industrial Exposure Training Charges	500
	Computer peripherals & Stationary Charges	500
	Library Facility Charges	2000
	Laboratory Charges	1500
	Student Aid	300
	Electricity Charges	500
	Fire&Water Charges	300
	Research Initiatives Charges	200
	Skill Development Charges	500
	Conferences,Innovative Projects Fund and Entrepreneurship Charges	300
	Outsourcing Facilities & other misc.expenditure on unspecified items.	500
	Insurance of Students and Medical facility Charge	1000
	Total	**12800**
D	**Other Charges**	
	Caution Money (Library/W.S/Labs) (refundable)	5000
	Univ.Alumni Association Membership (one time)	1500
	Information Brochure Charges (one time)	200
	Total	**6700**
	GrandTotalB.TECH/B.PHARM.	**102900**
	GrandTotalPG DIPLOMA	**62900**

अनुलग्नक - 8

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)

Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University

(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)

Chakrata Road, P.O. Chandanwadi, Premnagar, Suddhowala, Dehradun, Uttarakhand(India)

Tel.No.0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

मूल्यांकन प्रपत्र

(अप्रेजल की तिथि दिनांक.....................से.....................तक)

भाग–1 वैयक्तिक ब्यौरे और कर्तव्य

(कार्मिक द्वारा स्वंय के स्तर से भरा जायेगा)

1. कार्मिक का नाम–...
2. पिता/पति का नाम–...
3. माता का नाम–...
4. जन्म तिथि–...
5. पता–...
6. विश्वविद्यालय में नियुक्ति की तिथि–...
7. कार्यप्रदाता एजेंसी का नाम–...
8. पदनाम–...
9. शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता–...
10. कार्यदायित्व प्रभार/पटल–...
11. मोबाईल नम्बर–...

तिथि........... ....

कार्मिक के हस्ताक्षर.................................

नाम–...

भाग–2 विभागाध्यक्ष / प्रभारी द्वारा मूल्यांकन

कम संख्या	व्यक्तिगत विशेषताएं	मूल्यांकन (विभागाध्यक्ष / प्रभारी द्वारा)
1.	राजकीय नियमों का ज्ञान	
2.	कार्यक्षमता / दक्षता	
3.	कार्य की गुणवत्ता	
4.	कार्मिक का आचरण	
5.	कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा / जिम्मेदारी का बोध	
6.	गोपनीयता को बनाएं रखना व गुण	
7.	अनुशासन का अनुरक्षण / व्यवहार	
8.	परस्पर व्यक्तिगत गुण	
9.	उक्त अवधि के दौरान कार्मिक द्वारा लिये गये अवकाश का ब्यौरा (अवकाश की प्रकृति)	
10.	उक्त अवधि के दौरान कार्मिक और अधिकारी / प्रभारी द्वारा किये गये स्पष्टीकरण एवं चैतावनी पत्र (यदि हो) का ब्यौरा	
11.	कार्मिक द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यो का विवरणः– 1. कार्मिक को संदर्भित पत्र / पत्रावलियों की संख्या 2. उक्त संदर्भित पत्र / पत्रावलियों पर कार्मिक द्वारा 3. आवश्यक कार्यवाही की गयी पत्र / पत्रावलियों की संख्या 4. लम्बित पत्र / पत्रावलियों की संख्या (विलम्ब के कारण सहित)	
कुल अंक		

तिथि.........................

विभागाध्यक्ष / प्रभारी के हस्ताक्षर.........................

नाम–..

पदनाम– ....

मोहर–..

भाग–3 स्वीकर्ता अधिकारी की अभ्युक्ति

अभ्युक्तिः–

तिथि..........................

स्वीकृता अधिकारी के हस्ताक्षर...........................

नाम–.. ....

पदनाम– ....

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415 / 2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)
Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University
(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)
Chakrata Road, P.O. Chandanwadi, Premnagar, Suddhowala, Dehradun, Uttarakhand(India)
Tel.No.0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

प्रतिदिन सम्पादित कार्यो का विवरण

1. कार्मिक का नाम–...
2. पदनाम–...
3. प्रतिदिन सम्पादित किये गये कार्यो का तिथिवार विवरणः–

कम संख्या	दिनांक	पत्रावली संख्या	सम्पादित कार्यो का विवरण	कार्यो उपरान्त पत्रावली संदर्भित किये गये अधिकारी का पदनाम	अभ्युक्ति
1					
2					
3					
4					

तिथि.............................

कार्मिक के हस्ताक्षर..

नाम–..